रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 77] प्रयागराज, शनिवार, 18 नवम्बर, 2023 ई० (कार्तिक 27, 1945 शक संवत्) [संख्या 46

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1– विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	669–674	3075
भाग 1–क– नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	1589–1640	1500
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख–नगर पंचायत, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	..	975
भाग 4– निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश		975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये (ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		975
भाग 6–क–भारतीय संसद के ऐक्ट भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये (ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	171–194	975
भाग 8–सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	647–649	975
स्टोर्स–पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	..	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

अनुभाग-8

14 दिसम्बर, 2022 ई0

कार्यालय-ज्ञाप

सं0 2301/पांच-8-2022—डा0 अरूण कुमार डे (वरि0क्र0-11725), सेवानिवृत्त चिकित्साधिकारी, राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, प्रेमनगर, देहरादून, उत्तराखण्ड द्वारा मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ में योजित निर्देश याचिका संख्या-1093/2020 डा0 अरूण कुमार डे बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के आलोक में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या गोपन/कोर्टकेस/डा0ए0के0/2021/1862, दिनांक 29 जुलाई, 2021 द्वारा महानिदेशालय स्तर पर गठित स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा डा0 अरूण कुमार डे, सेवानिवृत्त चिकित्साधिकारी को दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से 17 वर्षीय तृतीय विशिष्ट ए0सी0पी0 एवं दिनांक 09 नवम्बर, 2014 से 24 वर्षीय चतुर्थ विशिष्ठ ए0सी0पी0 स्वीकृत किये जाने की संस्तुति/प्रस्ताव ब्राडसीट सहित उपलब्ध करायी गई।

2—महानिदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गई उपरोक्त संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त डा0 अरूण कुमार डे (वरि0क्र0-11725), सेवानिवृत्त चिकित्साधिकारी, राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, प्रेमनगर, देहरादून, उत्तराखण्ड को दिनांक-01 दिसम्बर, 2008 से 17 वर्षीय तृतीय विशिष्ट ए0सी0पी0 एवं दिनांक 09 नवम्बर, 2014 से 24 वर्षीय चतुर्थ विशिष्ट ए0सी0पी0 का लाभ स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,
डा0 मन्नान अख्तर,
विशेष सचिव।

अनुभाग-3

19 जनवरी, 2023 ई0

कार्यालय-ज्ञाप

सं0 5/3001(099)/72/2022-23—प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा, उ0प्र0 के अन्तर्गत चयन वर्ष 2020-21 हेतु एलोपैथिक चिकित्साधिकारी, ग्रेड-2 (स्तर-2) के पद पर उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित अभ्यर्थी डा0 राम दिवाकर, नवनियुक्त चिकित्साधिकारी, जनरल फिजीशियन को शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2359/चि0-3-2021, दिनांक 20 नवम्बर, 2021 द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, हर्रैया जनपद बस्ती में तैनाती प्रदान की गयी थी। डा0 दिवाकर द्वारा समयान्तर्गत योगदान न किये जाने के उपरान्त उनके पत्र दिनांक-22 जुलाई, 2022 द्वारा किये गये अनुरोध एवं महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें के पत्र संख्या-3फ/ए/विशे0एल-2/अभ्यर्थन निरस्त/2020-21/2934, दिनांक 03 अक्टूबर, 2022 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पर सम्यक् विचारोपरान्त डा0 राम दिवाकर को अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, बस्ती में तैनाती योगदान आख्या प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2—डा0 राम दिवाकर को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार तैनाती स्थान पर तत्काल योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

07 फरवरी, 2023 ई0

सं0 5/3001(099)/50/2022-23—प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा, उ0प्र0 के अन्तर्गत चयन वर्ष 2020-21 हेतु एलोपैथिक चिकित्साधिकारी, ग्रेड-2 (स्तर-2) के पद पर उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित अभ्यर्थी डा0 अमित भारद्वाज, नवनियुक्त पैथालॉजिस्ट विशेषज्ञ चिकित्साधिकारी को शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2139/चि0-3-2021, दिनांक 20 नवम्बर, 2021 द्वारा जिला संयुक्त चिकित्सालय हापुड़ में तैनाती प्रदान की गयी थी। डा0 भारद्वाज द्वारा समयान्तर्गत योगदान न किये जाने के उपरान्त उनके पत्र दिनांक-14 सितम्बर, 2022 द्वारा किये गये अनुरोध एवं महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें के पत्र संख्या-3फ/ए/विशे0एल-2/अभ्यर्थन निरस्त/2020-21/2747, दिनांक 14 सितम्बर, 2022 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पर सम्यक् विचारोपरान्त डा0 अमित भारद्वाज को जिला संयुक्त चिकित्साधिकारी हापुड़ में तैनाती योगदान आख्या प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2—डा0 अमित भारद्वाज को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार तैनाती स्थान पर तत्काल योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,
रविन्द्र,
सचिव।

अनुभाग—3
03 मार्च, 2023 ई0

कार्यालय-ज्ञाप

सं0 395/चि0-3-2023—अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत उ0प्र0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली-2020 द्वारा संवर्ग के पदों पर चयन हेतु उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे रु0 6600/- चिकित्साधिकारी (हड्डी रोग विशेषज्ञ) (लेवल-2) के पद पर निम्न सूची के अनुसार मौलिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए तैनाती हेतु की गयी काउंसिलिंग के आधार पर उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित चिकित्सा इकाई एवं जनपद में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत कार्यभार-ग्रहण करने की तिथि से तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

1—सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 के नियम 19 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा। परिवीक्षा अवधि तथा सेवा नियमावली की शर्तें पूर्ण करने पर स्थायीकरण के सम्बन्ध में पृथक से विचार किया जाएगा।

2—सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार-ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से तत्काल सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण करायेंगे।

3—सम्बन्धित चिकित्साधिकारी निम्न प्रारूप पर चरित्र प्राग्वृत्त के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि इस सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

4—सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई-भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें उ0प्र0 सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या-248/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या-2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97टी0सी0, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

5—सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार-ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित अवधि में अपने तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होगें तथा प्रस्तर-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित निर्धारित अवधि में तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

6—नियुक्ति स्थान पर कार्यभार-ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7—सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

(1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र (संलग्न प्रारूप में)।

(2) उ0प्र0 मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।

(3) ओथ आफ एलीजियन्श का प्रमाण-पत्र।

(4) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(5) चल अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(6) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र।

2–प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उनकी वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत मेरिट में निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

कार्यालय-ज्ञाप सं0 395/चि0-3-2023, दिनांक 03 मार्च, 2023 की तैनाती सूची

क्र0 सं0	एस क्रमांक	पंजीकरण सं0	अभ्यर्थी का नाम/पिता का नाम	विशेषज्ञता	श्रेणी	गृह जनपद का पता	नियुक्ति/नवीन तैनाती का स्थल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	एस-21	53800010953	श्री निकेत राज गर्ग पुत्र श्री सत्य प्रकाश	हड्डी रोग विशेषज्ञ	सामान्य	19 जीवन कलां भवन, भगवानपुर, नियर सनबीम स्कूल भगवानपुर, वाराणसी-221005	पं0 कमलापति त्रिपाठी जिला संयुक्त चिकित्सालय	चन्दौली

सं0 396/चि0-3-2023– अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत उ0प्र0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली-2020 द्वारा संवर्ग के पदों पर चयन हेतु उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे रु0 6,600 चिकित्साधिकारी (नेत्र रोग विशेषज्ञ) (लेवल-2) के पद पर संलग्न सूची के अनुसार मौलिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए तैनाती हेतु की गयी काउंसिलिंग के आधार पर उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित चिकित्सा इकाई एवं जनपद में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

1–सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 के नियम 19 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा। परिवीक्षा अवधि तथा सेवा नियमावली की शर्तें पूर्ण करने पर स्थायीकरण के सम्बन्ध में पृथक से विचार किया जायेगा।

2–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से तत्काल सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण करायेंगे।

3–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न प्रारूप पर चरित्र प्राग्वृत्त के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि इस सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

4–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई-भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें उ0प्र0 सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या-248/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या-2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97टी0सी0, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

5–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित अवधि में अपने तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होगें

तथा प्रस्तर-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित निर्धारित अवधि में तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

6–नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

(1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र (संलग्न प्रारूप में)।

(2) उ0प्र0 मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।

(3) ओथ एलीजियन्श का प्रमाण-पत्र।

(4) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(5) चल अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(6) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र।

2–प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उनकी वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत मेरिट में निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

कार्यालय-ज्ञाप सं0 396/चि0-3-2023, दिनांक 03 मार्च, 2023 की तैनाती सूची

क्र0 सं0	एस क्रमांक	पंजीकरण सं0	अभ्यर्थी का नाम/पिता का नाम	विशेषज्ञता	श्रेणी	गृह जनपद का पता	नियुक्ति/नवीन तैनाती का स्थल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	एस-56	53800000938	श्री अनुपम कुमार सिंह पुत्र श्री श्याम लाल सिंह	नेत्ररोग विशेषज्ञ	ओ0बी0सी0	ग्राम-गोविन्दपुर, पो0-बघई, जिला-मिर्जापुर-231307	एल0बी0एस0 जिला संयुक्त चिकित्सालय, रामनगर	वाराणसी

18 मई, 2023 ई0

सं0 866/चि0-3-2023– अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत उ0प्र0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली-2020 द्वारा संवर्ग के पदों पर चयन हेतु उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे रु0 6,600 चिकित्साधिकारी (रेडियोलॉजिस्ट रोग विशेषज्ञ) (लेवल-2) के पद पर संलग्न सूची के अनुसार मौलिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए तैनाती हेतु की गयी काउंसिलिंग के आधार पर उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित चिकित्सा इकाई एवं जनपद में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

1–सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 के नियम 19 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा। परिवीक्षा अवधि तथा सेवा नियमावली की शर्तें पूर्ण करने पर स्थायीकरण के सम्बन्ध में पृथक से विचार किया जायेगा।

2–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से तत्काल सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण करायेंगे।

3–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न प्रारूप पर चरित्र प्राग्वृत्त के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि इस सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

4—सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई-भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें उ0प्र0 सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या-248/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या-2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97टी0सी0, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

5—सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित अवधि में अपने तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होगें तथा प्रस्तर-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित निर्धारित अवधि में तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

6—नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7—सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

(1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र (संलग्न प्रारूप में)।

(2) उ0प्र0 मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।

(3) ओथ एलीजियन्श का प्रमाण-पत्र।

(4) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(5) चल अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(6) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र।

2—प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उनकी वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत मेरिट में निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

कार्यालय-ज्ञाप सं0 866/चि0-3-2023, दिनांक 18 मई, 2023 की तैनाती सूची

क्र0 सं0	एस क्रमांक	पंजीकरण सं0	अभ्यर्थी का नाम/पिता का नाम	विशेषज्ञता	श्रेणी	गृह जनपद का पता	चयन/प्रस्तावित की गयी चिकित्सा इकाई का नाम	जनपद का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	एस-4	54500024501	डा0 पूजा सिंह, पत्नी श्री शशिकान्त सिंह	रेडियोलॉजिस्ट	सामान्य/महिला	ग्राम व पोस्ट चाकरा, जनपद मऊ, उत्तर प्रदेश-221705	मेडिकल कालेज सुल्तानपुर	सुल्तानपुर

आज्ञा से,
धीरेन्द्र सिंह सचान,
विशेष सचिव।

पी0एस0यू0पी0—34 हिन्दी गजट—भाग 1—2023 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 18 नवम्बर, 2023 ई० (कार्तिक 27, 1945 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

जनता के प्रयोजनार्थ भूमि नियोजन की विज्ञप्तियां

कार्यालय, जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर

भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा-1 के अन्तर्गत प्रारम्भिक

अधिसूचना

25 अगस्त, 2023 ई0

सं0 8176/आठ-वि0भू0अ0अ0/सि0नगर/अधि0सू0/2023-24—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है, कि उप मुख्य अभियन्ता, कन्सट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे, गोरखपुर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बहराइच खलीलाबाद बी0 जी0 रेल लाईन परियोजना हेतु जनपद-सिद्धार्थनगर, तहसील-बॉसी, परगना-बॉसी पूरब, ग्राम-छितौना में रकबा 5.015899 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2—राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार (कलेक्टर सिद्धार्थनगर) को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गई है। जिसे समुचित सरकार जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर द्वारा दिनांक 27 अप्रैल, 2023 को अनुमोदित किया गया है।

3—सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है—

सेन्टर फॉर इण्डियन बॉम्बू रिसोर्स एण्ड टेक्नलॉजी (सीबार्ट) वसुन्धरा, गाजियाबाद द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों एवं उससे होने वाले दुष्प्रभावों का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने का सुझाव देने के आशय से सामाजिक समाघात अध्ययन/प्रबन्धन आख्या तैयार किया गया है। अध्ययन पद्धति में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों से साक्षात्कार के आधार पर सामाजिक आर्थिक एव सांस्कृतिक स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्रामों के

सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायत तहसील स्तर से आकड़े प्राप्त किये गये हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न हितधारकों से भी विचार विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन पूर्ण किया गया है।

परियोजना से प्रभावित ग्राम में प्रभावित कृषकों द्वारा मुख्य समस्याओं कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण आजीविका के श्रोत में ह्रास, कृषिगत मजदूरी में कमी, चारागाह/खलिहान में कमी, प्रदूषण में वृद्धि बताई गई, वहीं अधिकतर कृषकों द्वारा नई रेल लाईन के निर्माण से आवागमन में सुविधा, माल ढुलाई में सुविधा तथा रेलवे स्टेशन के निर्माण से व्यापार एवं रोजगार के सृजन होने की बात कही गई है।

इस परियोजना के फलस्वरूप प्रभावित ग्रामों के कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना स्वाभाविक है किन्तु प्रभावित कृषकों को भूमि अर्जन, पुनर्वासन, एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के नियमो के अनुसार प्रतिकर मिलने की स्थिति में प्राप्त धनराशि से अवशेष जोत का उन्नयन, रेल निर्माण से आवागमन, यातायात में सुगमता, कृषि उत्पाद हेतु विस्तृत बाजार तक पहुॅच, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने के चयन की सुविधा, वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास, बेहतर आवास के निर्माण, परिवहन के साधनों का विकास होना सम्भावी है, आदि से किसान लाभान्वित होंगे जिससे कृषि जोत में आई कमी को पूर्ण किया जा सकता है। परियोजना ग्राम के सम्पूर्ण अथवा अधिकांश भाग को प्रभावित नहीं कर रही है। इस परियोजना से कोई मुख्य आबादी प्रभावित नहीं हो रही है। इस क्षेत्र में नई रेल लाइन के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जैसे परिवहन, होटल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सड़क, विद्युत आदि की सुविधायें प्राप्त होंगी। यह भी निश्चित रूप से संभावित है कि नई रेल लाइन परियोजना के संचालन के परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लोगों के सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगी।

सामाजिक समाघात अनुसन्धान के सदस्यों/प्रभावित भू-स्वामियों एवं पंचायती राज्य के सदस्यों के आधार पर अध्ययनकर्ता संस्था द्वारा निष्कर्ष निकाला गया है कि 30 प्रतिशत कास्तकार परिवर्तित मार्ग से सहमत नहीं है। ग्राम-समोगरा व वैदोली खुर्द में विस्थापन की सम्भावना है। ग्राम-घघुवा में कई किसान भूमिहीन हो जायेंगे। ग्राम-नेउसा, समोगरा और बैदोली खुर्द में लगभग 50 मकान प्रभावित हो रहे है एवं नहर और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना से प्रभावित हो रहा है। शासन द्वारा लाभार्थियों को सामाजिक और आर्थिक नुकसान न हो इस बात को दृष्टिगत रखना होगा। अस्तु बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्व सम्मति से बहराइच-खलीलाबाद बी0 जी0 नई रेल लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन पर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना से असहमत होते हुये आवश्यक भूमि का अर्जन न किये जाने की संस्तुति की गई है।

उक्त के सम्बन्ध में कार्यालय पत्रांक 7971/आठ-वि0भू0अ0अ0/सि0नगर/2023-24/दिनांक 30 जून, 2023 के माध्यम से अध्याप्त निकाय पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर को बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह के आकलन प्रतिवेदन दिनांक 20 जून, 2023 से अवगत कराया गया है। अवगत कराते हुये विशेषज्ञों/अभियन्ताओं से समस्या के निदान के लिये आवश्यक फलमूलक कार्यवाही कराते हुये विभाग के मत से अवगत कराने की अपेक्षा की गई है। उक्त के सम्बन्ध में पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर द्वारा उनके पत्र संख्या-डब्लू/कान/247/बी0जी0/जी0/भूमि अधिग्रहण भाग-1/दिनांक 13 जुलाई, 2023 के माध्यम से अवगत कराते हुये अनुरोध किया गया कि उप मुख्य अभियन्ता द्वारा उपजिलाधिकारी बॉसी के साथ संयुक्त रूप से प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया गया जिससे यह तथ्य संज्ञान में आया कि उक्त संरेखण में आने वाले 01 ग्राम-समोगरा में 05 मकान एसे है जो संरेखण में आ रहे है। इस संरेखण में आने वाले आवासधारियों से अद्योहस्ताक्षरी एवं उपजिलाधिकारी बॉसी द्वारा निजि तौर से वार्ता की गई, आवासधारियों द्वारा बताया गया कि सभी के मकान गॉव में है और यह अस्थाई मकान गॉव के बाहर बना रखे है। सभी आवासधारियों ने परियोजना के लिये भूमि देने के लिये सहमति दर्शाई गई है। आगे पत्र में अनुरोध किया गया है कि ग्राम-सोनवलिया से ग्राम-गौरी तक जो भूमि इस परियोजना हेतु अधिग्रहीत की जानी है कार्यवाही शीघ्र पूर्ण किया जाय। उक्त के सम्बन्ध में सम्बन्धित तहसील की आख्या दिनांक 21 अगस्त, 2023 द्वारा भी सहमति जताई गई है।

अधिनियम, 2013 की धारा-7(4)ख के अनुसार परन्तु यह और की जहॉ समुचित सरकार ऐसी सिफारिशों के बावजूद अर्जन की कार्यवाही करना चाहती है तो वह यह सुनिश्चित करेगी की ऐसा करने के उसके कारण अभिलेख बद्ध किये जायेंगे। जिसके सम्बन्ध में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट/विशेषज्ञ समूह द्वारा दी गई सिफारिशों पर

समुचित सरकार द्वारा विचार/परीक्षण एवं अधिग्रहण की स्वीकृति सम्बन्धी दशाओं/स्थितियों को लेखबद्ध करते हुये जनसामान्य हेतु सामाचार-पत्रों में, जनपद की वेबसाइट, तहसील, ग्राम एवं कलेक्टर के नोटिस बोर्ड आदि पर प्रख्याप्ति कराया गया है। उक्त के सम्बन्ध में समुचित सरकार की राय यह है कि प्रस्तावित अर्जन एक विधि सम्मत और सद्भाविक लोक प्रयोजन है। जिसके कारण पहचान की गई भूमि का अर्जन आवश्यक हो गया है।

4–भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नही हो रहा है।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते हैं–

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	छितौना तप्पा असनार	215	0.160072
2					213	0.014249
3					217	0.10764
4					218	0.049499
5					219	0.198752
6					221	0.467447
7					222	0.481693
8					224	0.173274
9					225	0.189097
10					226	0.029503
11					227	0.157584
12					241	0.136673
13					239	0.154645
14					240	0.221241
15					242	0.298081
16					236	0.085003
17					245	0.102024
18					244	0.388162
19					404	0.030732
20					406	0.413122
21					399	0.015674

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
22	सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	छितौना तप्पा असनार	395	0.047966
23					420	0.071195
24					421	0.022648
25					426	0.241971
26					388	0.05425
27					387	0.012831
28					386	0.004298
29					388/437	0.031896
30					389	0.381503
31					390	0.120756
32					391	0.062208
33					392	0.000229
34					369	0.0391
35					433	0.050882
					योग . .	**5.015899**

6–अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाऐं करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7–अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरूद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

सं0 8177/आठ-वि0भू0अ0अ0/सि0नगर/अधि0सू0/2023-24–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है, कि उप मुख्य अभियन्ता, कन्सट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे, गोरखपुर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बहराइच खलीलाबाद बी0 जी0 रेल लाईन परियोजना हेतु जनपद-सिद्धार्थनगर, तहसील-बॉसी, परगना-बॉसी पूरब, ग्राम-मिरगा में रकबा-0.904757 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार (कलेक्टर सिद्धार्थनगर) को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गई है। जिसे समुचित सरकार जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर द्वारा दिनांक 27 अप्रैल, 2023 को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है–

सेन्टर फॉर इण्डियन बॉम्बू रिसोर्स एण्ड टेक्नलॉजी (सीबार्ट) वसुन्धरा, गाजियाबाद द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों एवं उससे होने वाले दुष्प्रभावों का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने का सुझाव देने के आशय से सामाजिक समाघात अध्ययन/प्रबन्धन आख्या तैयार किया गया है। अध्ययन पद्धति में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों से साक्षात्कार के आधार पर सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्रामों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायत तहसील स्तर से आकड़े प्राप्त किये गये हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न हितधारकों से भी विचार विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन पूर्ण किया गया है।

परियोजना से प्रभावित ग्राम में प्रभावित कृषकों द्वारा मुख्य समस्याओं कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण आजीविका के श्रोत में ह्रास, कृषिगत मजदूरी में कमी, चारागाह/खलिहान में कमी, प्रदूषण में वृद्धि बताई गई, वहीं अधिकतर कृषकों द्वारा नई रेल लाईन के निर्माण से आवागमन में सुविधा, माल ढुलाई में सुविधा तथा रेलवे स्टेशन के निर्माण से व्यापार एवं रोजगार के सृजन होने की बात कही गई है।

इस परियोजना के फलस्वरूप प्रभावित ग्रामों के कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना स्वाभाविक है किन्तु प्रभावित कृषकों को भूमि अर्जन, पुनर्वासन, एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 के नियमो के अनुसार प्रतिकर मिलने की स्थिति में प्राप्त धनराशि से अवशेष जोत का उन्नयन, रेल निर्माण से आवागमन, यातायात में सुगमता, कृषि उत्पाद हेतु विस्तृत बाजार तक पहुॅच, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने के चयन की सुविधा, वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास, बेहतर आवास के निर्माण, परिवहन के साधनों का विकास होना सम्भावी है, आदि से किसान लाभान्वित होंगे जिससे कृषि जोत में आई कमी को पूर्ण किया जा सकता है। परियोजना ग्राम के सम्पूर्ण अथवा अधिकांश भाग को प्रभावित नहीं कर रही है। इस परियोजना से कोई मुख्य आबादी प्रभावित नहीं हो रही है। इस क्षेत्र में नई रेल लाइन के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जैसे परिवहन, होटल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सड़क, विद्युत आदि की सुविधायें प्राप्त होंगी। यह भी निश्चित रूप से संभावित है कि नई रेल लाइन परियोजना के संचालन के परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लोगों के सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगी।

सामाजिक समाघात अनुसन्धान के सदस्यों/प्रभावित भू-स्वामियों एवं पंचायती राज्य के सदस्यों के आधार पर अध्ययनकर्ता संस्था द्वारा निष्कर्ष निकाला गया है कि 30 प्रतिशत कास्तकार परिवर्तित मार्ग से सहमत नहीं है। ग्राम-समोगरा व वैदोली खुर्द में विस्थापन की सम्भावना है। ग्राम-घघुवा में कई किसान भूमिहीन हो जायेंगे। ग्राम-नेउसा, समोगरा और बैदोली खुर्द में लगभग 50 मकान प्रभावित हो रहे है एवं नहर और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना से प्रभावित हो रहा है। शासन द्वारा लाभार्थियों को सामाजिक और आर्थिक नुकसान न हो इस बात को दृष्टिगत रखना होगा। अस्तु बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्व सम्मति से बहराइच-खलीलाबाद बी0 जी0 नई रेल लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन पर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना से असहमत होते हुये आवश्यक भूमि का अर्जन न किये जाने की संस्तुति की गई है।

उक्त के सम्बन्ध में कार्यालय पत्रांक 7971/आठ-वि0भू0अ0अ0/सि0नगर/2023-24/दिनांक 30 जून, 2023 के माध्यम से अध्याप्त निकाय पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर को बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह के आकलन प्रतिवेदन दिनांक 20 जून, 2023 से अवगत कराया गया है। अवगत कराते हुये विशेषज्ञों/अभियन्ताओं से समस्या के निदान के लिये आवश्यक फलमूलक कार्यवाही कराते हुये विभाग के मत से अवगत कराने की अपेक्षा की गई है। उक्त के सम्बन्ध में पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर द्वारा उनके पत्र संख्या-डब्लू/कान/247/बी0जी0/जी0/भूमि अधिग्रहण भाग-1/दिनांक 13 जुलाई, 2023 के माध्यम से अवगत कराते हुये अनुरोध किया गया कि उप मुख्य अभियन्ता द्वारा उपजिलाधिकारी बॉसी के साथ संयुक्त रूप से प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया गया जिससे यह तथ्य संज्ञान में आया कि उक्त संरेखण में आने वाले 01 ग्राम-समोगरा में 05 मकान एसे है जो संरेखण में आ रहे है। इस संरेखण में आने वाले आवासधारियों से अद्योहस्ताक्षरी एवं उपजिलाधिकारी बॉसी द्वारा निजि तौर से वार्ता की गई, आवासधारियों द्वारा बताया गया कि सभी के मकान गॉव में है और यह अस्थाई मकान गॉव के बाहर बना रखे है। सभी आवासधारियों ने परियोजना के लिये भूमि देने के लिये

सहमति दर्शाई गई है। आगे पत्र में अनुरोध किया गया है कि ग्राम-सोनवलिया से ग्राम-गौरी तक जो भूमि इस परियोजना हेतु अधिग्रहीत की जानी है कार्यवाही शीघ्र पूर्ण किया जाय। उक्त के सम्बन्ध में सम्बन्धित तहसील की आख्या दिनांक 21 अगस्त, 2023 द्वारा भी सहमति जताई गई है।

अधिनियम, 2013 की धारा-7(4)ख के अनुसार परन्तु यह और की जहॉ समुचित सरकार ऐसी सिफारिशों के बावजूद अर्जन की कार्यवाही करना चाहती है तो वह यह सुनिश्चित करेगी की ऐसा करने के उसके कारण अभिलेख बद्ध किये जायेंगे। जिसके सम्बन्ध में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट/विशेषज्ञ समूह द्वारा दी गई सिफारिशों पर समुचित सरकार द्वारा विचार/परीक्षण एवं अधिग्रहण की स्वीकृति सम्बन्धी दशाओं/स्थितियों को लेखबद्ध करते हुये जनसामान्य हेतु सामाचार-पत्रों में, जनपद की वेबसाइट, तहसील, ग्राम एवं कलेक्टर के नोटिस बोर्ड आदि पर प्रख्याप्ति कराया गया है। उक्त के सम्बन्ध में समुचित सरकार की राय यह है कि प्रस्तावित अर्जन एक विधि सम्मत और सद्भाविक लोक प्रयोजन है। जिसके कारण पहचान की गई भूमि का अर्जन आवश्यक हो गया है।

4–भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नही हो रहा है।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते हैं–

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	मिरगा तप्पा कुदारन	1	0.174316
2					5	0.13213
3					6	0.008421
4					54	0.194013
5					55	0.139951
6					56	0.021071
7					57	0.065654
8					58	0.169201
					योग . .	**0.904757**

6–अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाऐं करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7–अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरूद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

सं0 8178/आठ-वि0भू0अ0अ0/सि0नगर/अधि0सू0/2023-24—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है, कि उप मुख्य अभियन्ता, कन्सट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे, गोरखपुर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बहराइच खलीलाबाद बी0 जी0 रेल लाईन परियोजना हेतु जनपद-सिद्धार्थनगर, तहसील-बॉसी, परगना-बॉसी पूरब, ग्राम-समोगरा में रकबा-2.4074187 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2—राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार (कलेक्टर सिद्धार्थनगर) को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गई है। जिसे समुचित सरकार जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर द्वारा दिनांक 27 अप्रैल, 2023 को अनुमोदित किया गया है।

3—सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है—

सेन्टर फॉर इण्डियन बॉम्बू रिसोर्स एण्ड टेक्नलॉजी (सीबार्ट) वसुन्धरा, गाजियाबाद द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों एवं उससे होने वाले दुष्प्रभावों का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने का सुझाव देने के आशय से सामाजिक समाघात अध्ययन/प्रबन्धन आख्या तैयार किया गया है। अध्ययन पद्धति में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों से साक्षात्कार के आधार पर सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्रामों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायत तहसील स्तर से आकड़े प्राप्त किये गये हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न हितधारकों से भी विचार विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन पूर्ण किया गया है।

परियोजना से प्रभावित ग्राम में प्रभावित कृषकों द्वारा मुख्य समस्याओं कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण आजीविका के श्रोत में ह्रास, कृषिगत मजदूरी में कमी, चारागाह/खलिहान में कमी, प्रदूषण में वृद्धि बताई गई, वहीं अधिकतर कृषकों द्वारा नई रेल लाईन के निर्माण से आवागमन में सुविधा, माल ढुलाई में सुविधा तथा रेलवे स्टेशन के निर्माण से व्यापार एवं रोजगार के सृजन होने की बात कही गई है।

इस परियोजना के फलस्वरूप प्रभावित ग्रामों के कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना स्वाभाविक है किन्तु प्रभावित कृषकों को भूमि अर्जन, पुनर्वासन, एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के नियमो के अनुसार प्रतिकर मिलने की स्थिति में प्राप्त धनराशि से अवशेषजोत का उन्नयन, रेल निर्माण से आवागमन, यातायात में सुगमता, कृषि उत्पाद हेतु विस्तृत बाजार तक पहुॅच, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने के चयन की सुविधा, वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास, बेहतर आवास के निर्माण, परिवहन के साधनों का विकास होना सम्भावी है, आदि से किसान लाभान्वित होंगे जिससे कृषि जोत में आई कमी को पूर्ण किया जा सकता है। परियोजना ग्राम के सम्पूर्ण अथवा अधिकांश भाग को प्रभावित नहीं कर रही है। इस परियोजना से कोई मुख्य आबादी प्रभावित नहीं हो रही है। इस क्षेत्र में नई रेल लाइन के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जैसे परिवहन, होटल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सड़क, विद्युत आदि की सुविधायें प्राप्त होंगी। यह भी निश्चित रूप से संभावित है कि नई रेल लाइन परियोजना के संचालन के परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लोगों के सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगी।

सामाजिक समाघात अनुसन्धान के सदस्यों/प्रभावित भू-स्वामियों एवं पंचायती राज्य के सदस्यों के आधार पर अध्ययनकर्ता संस्था द्वारा निष्कर्ष निकाला गया है कि 30 प्रतिशत कास्तकार परिवर्तित मार्ग से सहमत नहीं है। ग्राम-समोगरा व वैदोली खुर्द में विस्थापन की सम्भावना है। ग्राम-घघुवा में कई किसान भूमिहीन हो जायेंगे। ग्राम-नेउसा, समोगरा और बैदोली खुर्द में लगभग 50 मकान प्रभावित हो रहे है एवं नहर और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना से प्रभावित हो रहा है। शासन द्वारा लाभार्थियों को सामाजिक और आर्थिक नुकसान न हो इस बात को दृष्टिगत रखना होगा। अस्तु बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्व सम्मति से बहराइच-खलीलाबाद बी0 जी0 नई रेल लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन पर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना से असहमत होते हुये आवश्यक भूमि का अर्जन न किये जाने की संस्तुति की गई है।

उक्त के सम्बन्ध में कार्यालय पत्रांक 7971/आठ-वि0भू0अ0अ0/सि0नगर/2023-24/दिनांक 30 जून, 2023 के माध्यम से अध्याप्त निकाय पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर को बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह के आकलन प्रतिवेदन दिनांक 20 जून, 2023 से अवगत कराया गया है। अवगत कराते हुये विशेषज्ञों/अभियन्ताओं से समस्या के निदान के लिये आवश्यक फलमूलक कार्यवाही कराते हुये विभाग के मत से अवगत कराने की अपेक्षा की गई है। उक्त के सम्बन्ध में पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर द्वारा उनके पत्र संख्या-डब्लू/कान/247/बी0जी0/जी0/भूमि अधिग्रहण भाग-1/दिनांक 13 जुलाई, 2023 के माध्यम से अवगत कराते हुये अनुरोध किया गया कि उप मुख्य अभियन्ता द्वारा उपजिलाधिकारी बॉसी के साथ संयुक्त रूप से प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया गया जिससे यह तथ्य संज्ञान में आया कि उक्त संरेखण में आने वाले 01 ग्राम-समोगरा में 05 मकान एसे है जो संरेखण में आ रहे है। इस संरेखण में आने वाले आवासधारियों से अद्योहस्ताक्षरी एवं उपजिलाधिकारी बॉसी द्वारा निजि तौर से वार्ता की गई, आवासधारियों द्वारा बताया गया कि सभी के मकान गॉव में है और यह अस्थाई मकान गॉव के बाहर बना रखे है। सभी आवासधारियों ने परियोजना के लिये भूमि देने के लिये सहमति दर्शाई गई है। आगे पत्र में अनुरोध किया गया है कि ग्राम-सोनवलिया से ग्राम-गौरी तक जो भूमि इस परियोजना हेतु अधिग्रहीत की जानी है कार्यवाही शीघ्र पूर्ण किया जाय। उक्त के सम्बन्ध में सम्बन्धित तहसील की आख्या दिनांक 21 अगस्त, 2023 द्वारा भी सहमति जताई गई है।

अधिनियम-2013 की धारा-7(4)ख के अनुसार परन्तु यह और की जहॉ समुचित सरकार ऐसी सिफारिशों के बावजूद अर्जन की कार्यवाही करना चाहती है तो वह यह सुनिश्चित करेगी की ऐसा करने के उसके कारण अभिलेख बद्ध किये जायेंगे। जिसके सम्बन्ध में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट/विशेषज्ञ समूह द्वारा दी गई सिफारिशों पर समुचित सरकार द्वारा विचार/परीक्षण एवं अधिग्रहण की स्वीकृति सम्बन्धी दशाओं/स्थितियों को लेखबद्ध करते हुये जनसामान्य हेतु सामाचार-पत्रों में, जनपद की वेबसाइट, तहसील, ग्राम एवं कलेक्टर के नोटिस बोर्ड आदि पर प्रख्याप्ति कराया गया है। उक्त के सम्बन्ध में समुचित सरकार की राय यह है कि प्रस्तावित अर्जन एक विधि सम्मत और सद्भाविक लोक प्रयोजन है। जिसके कारण पहचान की गई भूमि का अर्जन आवश्यक हो गया है।

4—भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नही हो रहा है।

5—अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते हैं—

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	समोगरा तप्पा कुदारन	405	0.0163786
2					406	0.0016096
3					403	0.2911073
4					401	0.0457346
5					399	0.1071607
6					398	0.0624528
7					397	0.0015785
8					307	0.0001567
9					300	0.0304514
10					298	0.2566772

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
11	सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	समोगरा तप्पा कुदारन	297	0.1140282
12					296	0.0889059
13					290	0.0488563
14					289	0.0661641
15					284	0.0445669
16					283	0.0925676
17					282	0.0045984
18					225	0.0303782
19					224	0.0016525
20					216	0.2178906
21					214	0.0609399
22					230	0.2128197
23					231	0.0086053
24					232	0.1166136
25					233	0.0326186
26					235	0.0910488
27					265	0.0302453
28					67	0.0682501
29					68	0.0164736
30					70	0.183567
31					71	0.043626
32					72	0.0196947
					योग . .	**2.4074187**

6–अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाऐं करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7–अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरूद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

सं0 8179/आठ-वि0भू0अ0अ0/सि0नगर/अधि0सू0/2023-24—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है, कि उप मुख्य अभियन्ता, कन्सट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे, गोरखपुर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बहराइच खलीलाबाद बी0 जी0 रेल लाईन परियोजना हेतु जनपद-सिद्धार्थनगर, तहसील-बॉसी, परगना-बॉसी पूरब, ग्राम-कुसुम्ही में रकबा-2.0080454 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2—राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार (कलेक्टर सिद्धार्थनगर) को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गई है। जिसे समुचित सरकार जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर द्वारा दिनांक 27 अप्रैल, 2023 को अनुमोदित किया गया है।

3—सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है—

सेन्टर फॉर इण्डियन बॉम्बू रिसोर्स एण्ड टेक्नलॉजी (सीबार्ट) वसुन्धरा, गाजियाबाद द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों एवं उससे होने वाले दुष्प्रभावों का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने का सुझाव देने के आशय से सामाजिक समाघात अध्ययन/प्रबन्धन आख्या तैयार किया गया है। अध्ययन पद्धति में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों से साक्षात्कार के आधार पर सामाजिक आर्थिक एव ंसांस्कृतिक स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्रामों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायत तहसील स्तर से आकड़े प्राप्त किये गये हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न हितधारकों से भी विचार विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन पूर्ण किया गया है।

परियोजना से प्रभावित ग्राम में प्रभावित कृषकों द्वारा मुख्य समस्याओं कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण आजीविका के श्रोत में ह्रास, कृषिगत मजदूरी में कमी, चारागाह/खलिहान में कमी, प्रदूषण में वृद्धि बताई गई, वहीं अधिकतर कृषकों द्वारा नई रेल लाईन के निर्माण से आवागमन में सुविधा, माल ढुलाई में सुविधा तथा रेलवे स्टेशन के निर्माण से व्यापार एवं रोजगार के सृजन होने की बात कही गई है।

इस परियोजना के फलस्वरूप प्रभावित ग्रामों के कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना स्वाभाविक है किन्तु प्रभावित कृषकों को भूमि अर्जन, पुनर्वासन, एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 के नियमो के अनुसार प्रतिकर मिलने की स्थिति में प्राप्त धनराशि से अवशेष जोत का उन्नयन, रेल निर्माण से आवागमन, यातायात में सुगमता, कृषि उत्पाद हेतु विस्तृत बाजार तक पहुॅच, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने के चयन की सुविधा, वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास, बेहतर आवास के निर्माण, परिवहन के साधनों का विकास होना सम्भावी है, आदि से किसान लाभान्वित होंगे जिससे कृषि जोत में आई कमी को पूर्ण किया जा सकता है। परियोजना ग्राम के सम्पूर्ण अथवा अधिकांश भाग को प्रभावित नहीं कर रही है। इस परियोजना से कोई मुख्य आबादी प्रभावित नहीं हो रही है। इस क्षेत्र में नई रेल लाइन के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जैसे परिवहन, होटल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सड़क, विद्युत आदि की सुविधायें प्राप्त होंगी। यह भी निश्चित रूप से संभावित है कि नई रेल लाइन परियोजना के संचालन के परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लोगों के सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगी।

सामाजिक समाघात अनुसन्धान के सदस्यों/प्रभावित भू-स्वामियों एवं पंचायती राज्य के सदस्यों के आधार पर अध्ययनकर्ता संस्था द्वारा निष्कर्ष निकाला गया है कि 30 प्रतिशत कास्तकार परिवर्तित मार्ग से सहमत नहीं है। ग्राम-समोगरा व वैदोली खुर्द में विस्थापन की सम्भावना है। ग्राम-घघुवा में कई किसान भूमिहीन हो जायेंगे। ग्राम-नेउसा, समोगरा और बैदोली खुर्द में लगभग 50 मकान प्रभावित हो रहे है एवं नहर और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना से प्रभावित हो रहा है। शासन द्वारा लाभार्थियों को सामाजिक और आर्थिक नुकसान न हो इस बात को दृष्टिगत रखना होगा। अस्तु बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्व सम्मति से बहराइच-खलीलाबाद बी0 जी0 नई रेल लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन पर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना से असहमत होते हुये आवश्यक भूमि का अर्जन न किये जाने की संस्तुति की गई है।

उक्त के सम्बन्ध में कार्यालय पत्रांक 7971/आठ-वि0भू0अ0अ0/सि0नगर/2023-24/दिनांक 30 जून, 2023 के माध्यम से अध्याप्त निकाय पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर को बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह के आकलन प्रतिवेदन दिनांक 20 जून, 2023 से अवगत कराया गया है। अवगत कराते हुये विशेषज्ञों/अभियन्ताओं से समस्या के निदान के लिये आवश्यक फलमूलक कार्यवाही कराते हुये विभाग के मत से अवगत कराने की अपेक्षा की गई है। उक्त के सम्बन्ध में पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर द्वारा उनके पत्र संख्या-डब्लू/कान/247/बी0जी0/जी0/भूमि अधिग्रहण भाग-1/दिनांक 13 जुलाई, 2023 के माध्यम से अवगत कराते हुये अनुरोध किया गया कि उप मुख्य अभियन्ता द्वारा उपजिलाधिकारी बॉसी के साथ संयुक्त रूप से प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया गया जिससे यह तथ्य संज्ञान में आया कि उक्त संरेखण में आने वाले 01 ग्राम-समोगरा में 05 मकान ऐसे हैं जो संरेखण में आ रहे है। इस संरेखण में आने वाले आवासधारियों से अद्योहस्ताक्षरी एवं उपजिलाधिकारी बॉसी द्वारा निजि तौर से वार्ता की गई, आवासधारियों द्वारा बताया गया कि सभी के मकान गॉव में है और यह अस्थाई मकान गॉव के बाहर बना रखे है। सभी आवासधारियों ने परियोजना के लिये भूमि देने के लिये सहमति दर्शाई गई है। आगे पत्र में अनुरोध किया गया है कि ग्राम-सोनवलिया से ग्राम-गौरी तक जो भूमि इस परियोजना हेतु अधिग्रहीत की जानी है कार्यवाही शीघ्र पूर्ण किया जाय। उक्त के सम्बन्ध में सम्बन्धित तहसील की आख्या दिनांक 21 अगस्त, 2023 द्वारा भी सहमति जताई गई है।

अधिनियम, 2013 की धारा-7(4)ख के अनुसार परन्तु यह और की जहॉ समुचित सरकार ऐसी सिफारिशों के बावजूद अर्जन की कार्यवाही करना चाहती है तो वह यह सुनिश्चित करेगी की ऐसा करने के उसके कारण अभिलेख बद्ध किये जायेंगे। जिसके सम्बन्ध में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट/विशेषज्ञ समूह द्वारा दी गई सिफारिशों पर समुचित सरकार द्वारा विचार/परीक्षण एवं अधिग्रहण की स्वीकृति सम्बन्धी दशाओं/स्थितियों को लेखबद्ध करते हुये जनसामान्य हेतु सामाचार-पत्रों में, जनपद की वेबसाइट, तहसील, ग्राम एवं कलेक्टर के नोटिस बोर्ड आदि पर प्रख्याप्ति कराया गया है। उक्त के सम्बन्ध में समुचित सरकार की राय यह है कि प्रस्तावित अर्जन एक विधि सम्मत और सद्भाविक लोक प्रयोजन है। जिसके कारण पहचान की गई भूमि का अर्जन आवश्यक हो गया है।

4—भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नही हो रहा है।

5—अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते हैं—

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	कुसुम्ही तप्पा कुदारन	209	0.0165971
2					210	0.2807846
3					205	0.1085996
4					201	0.0848314
5					204	0.2256356
6					202	0.183069
7					135	0.0028981
8					136	0.0568024
9					171	0.1053302
10					174	0.0118755

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
11	सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	कुसुम्ही तप्पा कुदारन	173	0.0409267
12					168	0.3214173
13					167	0.2021063
14					166	0.1453945
15					164	0.1226796
16					160	0.0523496
17					158	0.0467479
					योग . .	**2.0080454**

6–अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाऐं करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7–अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरूद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

सं0 8180/आठ-वि0भू0अ0अ0/सि0नगर/अधि0सू0/2023-24–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है, कि उप मुख्य अभियन्ता, कन्सट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे, गोरखपुर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बहराइच खलीलाबाद बी0 जी0 रेल लाईन परियोजना हेतु जनपद-सिद्धार्थनगर, तहसील-बॉसी, परगना-बॉसी पूरब, ग्राम-गौरी में रकबा-7.3852667 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार (कलेक्टर-सिद्धार्थनगर) को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गई है। जिसे समुचित सरकार जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर द्वारा दिनांक 27 अप्रैल, 2023 को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है–

सेन्टर फॉर इण्डियन बॉम्बू रिसोर्स एण्ड टेक्नोलॉजी (सीबार्ट) वसुन्धरा, गाजियाबाद द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों एवं उससे होने वाले दुष्प्रभावों का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने का सुझाव देने के आशय से सामाजिक समाघात अध्ययन/प्रबन्धन आख्या तैयार किया गया है। अध्ययन पद्धति में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों से साक्षात्कार के आधार पर सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्रामों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायत तहसील स्तर से आकड़े प्राप्त किये गये हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न हितधारकों से भी विचार विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन पूर्ण किया गया है।

परियोजना से प्रभावित ग्राम में प्रभावित कृषकों द्वारा मुख्य समस्याओं कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण आजीविका के श्रोत में ह्रास, कृषिगत मजदूरी में कमी, चारागाह/खलिहान में कमी, प्रदूषण में वृद्धि बताई गई, वहीं अधिकतर कृषकों द्वारा नई रेल लाईन के निर्माण से आवागमन में सुविधा, माल ढुलाई में सुविधा तथा रेलवे स्टेशन के निर्माण से व्यापार एवं रोजगार के सृजन होने की बात कही गई है।

इस परियोजना के फलस्वरूप प्रभावित ग्रामों के कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना स्वाभाविक है किन्तु प्रभावित कृषकों को भूमि अर्जन, पुनर्वासन, एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 के नियमो के अनुसार प्रतिकर मिलने की स्थिति में प्राप्त धनराशि से अवशेष जोत का उन्नयन, रेल निर्माण से आवागमन, यातायात में सुगमता, कृषि उत्पाद हेतु विस्तृत बाजार तक पहुॅच, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने के चयन की सुविधा, वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास, बेहतर आवास के निर्माण, परिवहन के साधनों का विकास होना सम्भावी है, आदि से किसान लाभान्वित होंगे जिससे कृषि जोत में आई कमी को पूर्ण किया जा सकता है। परियोजना ग्राम के सम्पूर्ण अथवा अधिकांश भाग को प्रभावित नहीं कर रही है। इस परियोजना से कोई मुख्य आबादी प्रभावित नहीं हो रही है। इस क्षेत्र में नई रेल लाइन के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जैसे परिवहन, होटल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सड़क, विद्युत आदि की सुविधायें प्राप्त होंगी। यह भी निश्चित रूप से संभावित है कि नई रेल लाइन परियोजना के संचालन के परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लोगों के सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगी।

सामाजिक समाघात अनुसन्धान के सदस्यों/प्रभावित भू-स्वामियों एवं पंचायती राज्य के सदस्यों के आधार पर अध्ययनकर्ता संस्था द्वारा निष्कर्ष निकाला गया है कि 30 प्रतिशत कास्तकार परिवर्तित मार्ग से सहमत नहीं है। ग्राम-समोगरा व वैदोली खुर्द में विस्थापन की सम्भावना है। ग्राम-घघुवा में कई किसान भूमिहीन हो जायेंगे। ग्राम-नेउसा, समोगरा और बैदोली खुर्द में लगभग 50 मकान प्रभावित हो रहे है एवं नहर और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना से प्रभावित हो रहा है। शासन द्वारा लाभार्थियों को सामाजिक और आर्थिक नुकसान न हो इस बात को दृष्टिगत रखना होगा। अस्तु बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्व सम्मति से बहराइच-खलीलाबाद बी0 जी0 नई रेल लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन पर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना से असहमत होते हुये आवश्यक भूमि का अर्जन न किये जाने की संस्तुति की गई है।

उक्त के सम्बन्ध में कार्यालय पत्रांक 7971/आठ-वि0भू0अ0अ0/सि0नगर/2023-24/दिनांक 30 जून, 2023 के माध्यम से अध्याप्त निकाय पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर को बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह के आकलन प्रतिवेदन दिनांक 20 जून, 2023 से अवगत कराया गया है। अवगत कराते हुये विशेषज्ञों/अभियन्ताओं से समस्या के निदान के लिये आवश्यक फलमूलक कार्यवाही कराते हुये विभाग के मत से अवगत कराने की अपेक्षा की गई है। उक्त के सम्बन्ध में पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर द्वारा उनके पत्र संख्या-डब्लू/कान/247/बी0जी0/जी0/भूमि अधिग्रहण भाग-1/दिनांक 13 जुलाई, 2023 के माध्यम से अवगत कराते हुये अनुरोध किया गया कि उप मुख्य अभियन्ता द्वारा उपजिलाधिकारी बॉसी के साथ संयुक्त रूप से प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया गया जिससे यह तथ्य संज्ञान में आया कि उक्त संरेखण में आने वाले 01 ग्राम-समोगरा में 05 मकान ऐसे हैं जो संरेखण में आ रहे है। इस संरेखण में आने वाले आवासधारियों से अद्योहस्ताक्षरी एवं उपजिलाधिकारी बॉसी द्वारा निजि तौर से वार्ता की गई, आवासधारियों द्वारा बताया गया कि सभी के मकान गॉव में है और यह अस्थाई मकान गॉव के बाहर बना रखे है। सभी आवासधारियों ने परियोजना के लिये भूमि देने के लिये सहमति दर्शाई गई है। आगे पत्र में अनुरोध किया गया है कि ग्राम-सोनवलिया से ग्राम-गौरी तक जो भूमि इस परियोजना हेतु अधिग्रहीत की जानी है कार्यवाही शीघ्र पूर्ण किया जाय। उक्त के सम्बन्ध में सम्बन्धित तहसील की आख्या दिनांक 21 अगस्त, 2023 द्वारा भी सहमति जताई गई है।

अधिनियम, 2013 की धारा-7(4)ख के अनुसार परन्तु यह और की जहॉ समुचित सरकार ऐसी सिफारिशों के बावजूद अर्जन की कार्यवाही करना चाहती है तो वह यह सुनिश्चित करेगी की ऐसा करने के उसके कारण अभिलेख बद्ध किये जायेंगे। जिसके सम्बन्ध में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट/विशेषज्ञ समूह द्वारा दी गई सिफारिशों पर समुचित सरकार द्वारा विचार/परीक्षण एवं अधिग्रहण की स्वीकृति सम्बन्धी दशाओं/स्थितियों को लेखबद्ध करते हुये जनसामान्य हेतु सामाचार पत्रों में, जनपद की वेबसाइट, तहसील, ग्राम एवं कलेक्टर के नोटिस बोर्ड आदि पर प्रख्यापित

कराया गया है। उक्त के सम्बन्ध में समुचित सरकार की राय यह है कि प्रस्तावित अर्जन एक विधि सम्मत और सद्भाविक लोक प्रयोजन है। जिसके कारण पहचान की गई भूमि का अर्जन आवश्यक हो गया है।

4–भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नही हो रहा है।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते हैं–

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	गौरी तप्पा असनार	355	0.0653622
2					351	0.0442335
3					353	0.0171636
4					352	0.0052169
5					350	0.0096582
6					349	0.0134931
7					348	0.0880001
8					347	0.0446727
9					346	0.0455642
10					345	0.0601513
11					338	0.4479938
12					341	0.0984875
13					340	0.0631932
14					324	0.005967
15					325	0.0996233
16					326	0.0916462
17					327	0.0240461
18					328	0.0260904
19					329	0.0243871
20					330	0.0259509
21					331	0.103707
22					332	0.1181206

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
23	सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	गौरी तप्पा असनार	333	0.0124928
24					320	0.1214296
25					321	0.1335264
26					322	0.1626483
27					323	0.1061061
28					297	0.0239563
29					298	0.0469307
30					299	0.0263448
31					300	0.021052
32					301	0.026005
33					302	0.0497116
34					303	0.1416202
35					304	0.1420112
36					305	0.0396256
37					307	0.0192621
38					308	0.0426083
39					309	0.0769745
40					286	0.0973112
41					287	0.0319799
42					288	0.0338848
43					289	0.0386291
44					290	0.0922051
45					291	0.109043
46					282	0.0165417
47					270	0.0025912
48					271	0.0023967
49					272	0.0025804
50					273	0.0027328
51					274	0.0067469
52					275	0.1590872

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
53	सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	गौरी तप्पा असनार	276	0.5202203
54					265	0.116882
55					266	0.2577602
56					267	0.0154752
57					268	0.2176598
58					251	0.4636609
59					253	0.5148171
60					254	0.7462131
61					255	0.3504874
62					256	0.3385964
63					257	0.4677728
64					258	0.0649871
					योग . .	**7.3852667**

6–अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाऐं करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7–अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरूद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

सं0 8181/आठ-वि0भू0अ0अ0/सि0नगर/अधि0सू0/2023-24–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है, कि उप मुख्य अभियन्ता, कन्सट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे, गोरखपुर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बहराइच- खलीलाबाद बी0 जी0 रेल लाईन परियोजना हेतु जनपद-सिद्धार्थनगर, तहसील-बॉसी, परगना-बॉसी पूरब, ग्राम-घघुवा में रकबा-1.9557568 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार (कलेक्टर-सिद्धार्थनगर) को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गई है। जिसे समुचित सरकार जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर द्वारा दिनांक 27 अप्रैल, 2023 को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है–

सेन्टर फॉर इण्डियन बॉम्बू रिसोर्स एण्ड टेक्नोलॉजी (सीबार्ट) वसुन्धरा, गाजियाबाद द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों एवं उससे होने वाले दुष्प्रभावों का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने का सुझाव देने के आ''ाय से सामाजिक समाघात अध्ययन/प्रबन्धन आख्या तैयार किया गया है। अध्ययन पद्धति में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों से साक्षात्कार के आधार पर सामाजिक आर्थिक एव ंसांस्कृतिक स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्रामों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायत तहसील स्तर से आकड़े प्राप्त किये गये हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न हितधारकों से भी विचार विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन पूर्ण किया गया है।

परियोजना से प्रभावित ग्राम में प्रभावित कृषकों द्वारा मुख्य समस्याओं कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण आजीविका के श्रोत में ह्रास, कृषिगत मजदूरी में कमी, चारागाह/खलिहान में कमी, प्रदूषण में वृद्धि बताई गई, वहीं अधिकतर कृषकों द्वारा नई रेल लाईन के निर्माण से आवागमन में सुविधा, माल ढुलाई में सुविधा तथा रेलवे स्टेशन के निर्माण से व्यापार एवं रोजगार के सृजन होने की बात कही गई है।

इस परियोजना के फलस्वरूप प्रभावित ग्रामों के कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना स्वाभाविक है किन्तु प्रभावित कृषकों को भूमि अर्जन, पुनर्वासन, एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 के नियमो के अनुसार प्रतिकर मिलने की स्थिति में प्राप्त धनराशि से अवशेषजोत का उन्नयन, रेल निर्माण से आवागमन, यातायात में सुगमता, कृषि उत्पाद हेतु विस्तृत बाजार तक पहुॅच, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने के चयन की सुविधा, वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास, बेहतर आवास के निर्माण, परिवहन के साधनों का विकास होना सम्भावी है, आदि से किसान लाभान्वित होंगे जिससे कृषि जोत में आई कमी को पूर्ण किया जा सकता है। परियोजना ग्राम के सम्पूर्ण अथवा अधिकांश भाग को प्रभावित नहीं कर रही है। इस परियोजना से कोई मुख्य आबादी प्रभावित नहीं हो रही है। इस क्षेत्र में नई रेल लाइन के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जैसे परिवहन, होटल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सड़क, विद्युत आदि की सुविधायें प्राप्त होंगी। यह भी निश्चित रूप से संभावित है कि नई रेल लाइन परियोजना के संचालन के परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लोगों के सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगी।

सामाजिक समाघात अनुसन्धान के सदस्यों/प्रभावित भू-स्वामियों एवं पंचायती राज्य के सदस्यों के आधार पर अध्ययनकर्ता संस्था द्वारा निष्कर्ष निकाला गया है कि 30 प्रतिशत कास्तकार परिवर्तित मार्ग से सहमत नहीं है। ग्राम–समोगरा व वैदोली खुर्द में विस्थापन की सम्भावना है। ग्राम-घघुवा में कई किसान भूमिहीन हो जायेंगे। ग्राम-नेउसा, समोगरा और बैदोली खुर्द में लगभग 50 मकान प्रभावित हो रहे है एवं नहर और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना से प्रभावित हो रहा है। शासन द्वारा लाभार्थियों को सामाजिक और आर्थिक नुकसान न हो इस बात को दृष्टिगत रखना होगा। अस्तु बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्व सम्मति से बहराइच-खलीलाबाद बी0 जी0 नई रेल लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन पर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना से असहमत होते हुये आवश्यक भूमि का अर्जन न किये जाने की संस्तुति की गई है।

उक्त के सम्बन्ध में कार्यालय पत्रांक 7971/आठ-वि0भू0अ0अ0/सि0नगर/2023-24/दिनांक 30 जून, 2023 के माध्यम से अध्याप्त निकाय पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर को बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह के आकलन प्रतिवेदन दिनांक 20 जून, 2023 से अवगत कराया गया है। अवगत कराते हुये विशेषज्ञों/अभियन्ताओं से समस्या के निदान के लिये आवश्यक फलमूलक कार्यवाही कराते हुये विभाग के मत से अवगत कराने की अपेक्षा की गई है। उक्त के सम्बन्ध में पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर द्वारा उनके पत्र संख्या-डब्लू/कान/247/बी0जी0/जी0/भूमि अधिग्रहण भाग-1/दिनांक 13 जुलाई, 2023 के माध्यम से अवगत कराते हुये अनुरोध किया गया कि उप-मुख्य अभियन्ता द्वारा उप-जिलाधिकारी बॉसी के साथ संयुक्त रूप से प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया गया जिससे यह तथ्य संज्ञान में आया कि उक्त संरेखण में आने वाले 01 ग्राम-समोगरा में

05 मकान ऐसे है जो संरेखण में आ रहे है। इस संरेखण में आने वाले आवासधारियों से अद्योहस्ताक्षरी एवं उप-जिलाधिकारी बॉसी द्वारा निजि तौर से वार्ता की गई, आवासधारियों द्वारा बताया गया कि सभी के मकान गॉव में है और यह अस्थाई मकान गॉव के बाहर बना रखे है। सभी आवासधारियों ने परियोजना के लिये भूमि देने के लिये सहमति दर्शाई गई है। आगे पत्र में अनुरोध किया गया है कि ग्राम-सोनवलिया से ग्राम-गौरी तक जो भूमि इस परियोजना हेतु अधिग्रहीत की जानी है कार्यवाही शीघ्र पूर्ण किया जाय। उक्त के सम्बन्ध में सम्बन्धित तहसील की आख्या दिनांक 21 अगस्त, 2023 द्वारा भी सहमति जताई गई है।

अधिनियम, 2013 की धारा-7(4)ख के अनुसार परन्तु यह और की जहॉ समुचित सरकार ऐसी सिफारिशों के बावजूद अर्जन की कार्यवाही करना चाहती है तो वह यह सुनिश्चित करेगी की ऐसा करने के उसके कारण अभिलेख बद्ध किये जायेंगे। जिसके सम्बन्ध में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट/विशेषज्ञ समूह द्वारा दी गई सिफारिशों पर समुचित सरकार द्वारा विचार/परीक्षण एवं अधिग्रहण की स्वीकृति सम्बन्धी दशाओं/स्थितियों को लेखबद्ध करते हुये जनसामान्य हेतु सामाचार पत्रों में, जनपद की वेबसाइट, तहसील, ग्राम एवं कलेक्टर के नोटिस बोर्ड आदि पर प्रख्यापित कराया गया है। उक्त के सम्बन्ध में समुचित सरकार की राय यह है कि प्रस्तावित अर्जन एक विधि सम्मत और सद्भाविक लोक प्रयोजन है। जिसके कारण पहचान की गई भूमि का अर्जन आवश्यक हो गया है।

4–भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नही हो रहा है।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते हैं–

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	घघुवा तप्पा कुदारन	39	0.0940949
2					40	0.0538033
3					37	0.0543867
4					42	0.3383296
5					43	0.0174697
6					60	0.0489914
7					61	0.1146751
8					63	0.0217033
9					62	0.082
10					166	0.1746036
11					165	0.0798335
12					228	0.3928363

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
13	सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	घघुवा तप्पा कुदारन	210	0.0150082
14					163	0.0002263
15					209	0.004665
16					208	0.0177172
17					202	0.0049668
18					207	0.0203318
19					206	0.0582578
20					204	0.0032004
21					191	0.0016276
22					231	0.2343934
23					232	0.1226349
					योग . .	**1.9557568**

6–अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाऐं करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7–अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरूद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

सं0 8182/आठ-वि0भू0अ0अ0/सि0नगर/अधि0सू0/2023-24–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है, कि उप मुख्य अभियन्ता, कन्सट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे, गोरखपुर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बहराइच खलीलाबाद बी0 जी0 रेल लाईन परियोजना हेतु जनपद-सिद्धार्थनगर, तहसील-बॉसी, परगना-बॉसी पूरब, ग्राम-कोल्हवा बुजुर्ग में रकबा-3.7607274 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार (कलेक्टर-सिद्धार्थनगर) को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गई है। जिसे समुचित सरकार जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर द्वारा दिनांक 27 अप्रैल, 2023 को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है–

सेन्टर फॉर इण्डियन बॉम्बू रिसोर्स एण्ड टेक्नोलॉजी (सीबार्ट) वसुन्धरा, गाजियाबाद द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों एवं उससे होने वाले दुष्प्रभावों का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने का सुझाव देने के आशय से सामाजिक समाघात अध्ययन/प्रबन्धन आख्या तैयार किया गया है। अध्ययन पद्धति में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों से साक्षात्कार के आधार पर सामाजिक आर्थिक एव ंसांस्कृतिक स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्रामों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायत तहसील स्तर से आकड़े प्राप्त किये गये हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न हितधारकों से भी विचार विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन पूर्ण किया गया है।

परियोजना से प्रभावित ग्राम में प्रभावित कृषकों द्वारा मुख्य समस्याओं कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण आजीविका के श्रोत में ह्रास, कृषिगत मजदूरी में कमी, चारागाह/खलिहान में कमी, प्रदूषण में वृद्धि बताई गई, वहीं अधिकतर कृषकों द्वारा नई रेल लाईन के निर्माण से आवागमन में सुविधा, माल ढुलाई में सुविधा तथा रेलवे स्टेशन के निर्माण से व्यापार एवं रोजगार के सृजन होने की बात कही गई है।

इस परियोजना के फलस्वरूप प्रभावित ग्रामों के कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना स्वाभाविक है किन्तु प्रभावित कृषकों को भूमि अर्जन, पुनर्वासन, एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 के नियमो के अनुसार प्रतिकर मिलने की स्थिति में प्राप्त धनराशि से अवशेषजोत का उन्नयन, रेल निर्माण से आवागमन, यातायात में सुगमता, कृषि उत्पाद हेतु विस्तृत बाजार तक पहुॅच, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने के चयन की सुविधा, वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास, बेहतर आवास के निर्माण, परिवहन के साधनों का विकास होना सम्भावी है, आदि से किसान लाभान्वित होंगे जिससे कृषि जोत में आई कमी को पूर्ण किया जा सकता है। परियोजना ग्राम के सम्पूर्ण अथवा अधिकांश भाग को प्रभावित नहीं कर रही है। इस परियोजना से कोई मुख्य आबादी प्रभावित नहीं हो रही है। इस क्षेत्र में नई रेल लाइन के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जैसे परिवहन, होटल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सड़क, विद्युत आदि की सुविधायें प्राप्त होंगी। यह भी निश्चित रूप से संभावित है कि नई रेल लाइन परियोजना के संचालन के परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लोगों के सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगी।

सामाजिक समाघात अनुसन्धान के सदस्यों/प्रभावित भू-स्वामियों एवं पंचायती राज्य के सदस्यों के आधार पर अध्ययनकर्ता संस्था द्वारा निष्कर्ष निकाला गया है कि 30 प्रतिशत कास्तकार परिवर्तित मार्ग से सहमत नहीं है। ग्राम-समोगरा व वैदोली खुर्द में विस्थापन की सम्भावना है। ग्राम-घघुवा में कई किसान भूमिहीन हो जायेंगे। ग्राम-नेउसा, समोगरा और बैदोली खुर्द में लगभग 50 मकान प्रभावित हो रहे है एवं नहर और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना से प्रभावित हो रहा है। शासन द्वारा लाभार्थियों को सामाजिक और आर्थिक नुकसान न हो इस बात को दृष्टिगत रखना होगा। अस्तु बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्व सम्मति से बहराइच-खलीलाबाद बी0 जी0 नई रेल लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन पर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना से असहमत होते हुये आवश्यक भूमि का अर्जन न किये जाने की संस्तुति की गई है।

उक्त के सम्बन्ध में कार्यालय पत्रांक 7971/आठ-वि0भू0अ0अ0/सि0नगर/2023-24/दिनांक 30 जून, 2023 के माध्यम से अध्याप्त निकाय पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर को बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह के आकलन प्रतिवेदन दिनांक 20 जून, 2023 से अवगत कराया गया है। अवगत कराते हुये विशेषज्ञों/अभियन्ताओं से समस्या के निदान के लिये आवश्यक फलमूलक कार्यवाही कराते हुये विभाग के मत से अवगत कराने की अपेक्षा की गई है। उक्त के सम्बन्ध में पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर द्वारा उनके पत्र संख्या-डब्लू/कान/247/बी0जी0/जी0/भूमि अधिग्रहण भाग-1/दिनांक 13 जुलाई, 2023 के माध्यम से अवगत कराते हुये अनुरोध किया गया कि उप मुख्य अभियन्ता द्वारा उपजिलाधिकारी बॉसी के साथ संयुक्त रूप से प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया गया जिससे यह तथ्य संज्ञान में आया कि उक्त संरेखण में आने वाले 01 ग्राम-समोगरा में 05 मकान ऐसे है जो संरेखण में आ रहे है। इस संरेखण में आने वाले आवासधारियों से अद्योहस्ताक्षरी एवं उपजिलाधिकारी बॉसी द्वारा निजि तौर से वार्ता की गई, आवासधारियों द्वारा बताया गया कि सभी के मकान गॉव में है और यह अस्थाई मकान गॉव के बाहर बना रखे है। सभी आवासधारियों ने परियोजना के लिये भूमि देने के लिये सहमति दशाई गई हैं। आगे पत्र में अनुरोध किया गया है कि ग्राम-सोनवलिया से ग्राम-गौरी तक जो भूमि इस

परियोजना हेतु अधिग्रहीत की जानी है कार्यवाही शीघ्र पूर्ण किया जाये। उक्त के सम्बन्ध में सम्बन्धित तहसील की आख्या दिनांक 21 अगस्त, 2023 द्वारा भी सहमति जताई गई है।

अधिनियम-2013 की धारा-7(4)ख के अनुसार परन्तु यह और की जहॉ समुचित सरकार ऐसी सिफारिशों के बावजूद अर्जन की कार्यवाही करना चाहती है तो वह यह सुनिश्चित करेगी की ऐसा करने के उसके कारण अभिलेख बद्ध किये जायेंगे। जिसके सम्बन्ध में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट/विशेषज्ञ समूह द्वारा दी गई सिफारिशों पर समुचित सरकार द्वारा विचार/परीक्षण एवं अधिग्रहण की स्वीकृति सम्बन्धी दशाओं/स्थितियों को लेखबद्ध करते हुये जनसामान्य हेतु सामाचार-पत्रों में, जनपद की वेबसाइट, तहसील, ग्राम एवं कलेक्टर के नोटिस बोर्ड आदि पर प्रख्याप्ति कराया गया है। उक्त के सम्बन्ध में समुचित सरकार की राय यह है कि प्रस्तावित अर्जन एक विधि सम्मत और सद्भाविक लोक प्रयोजन है। जिसके कारण पहचान की गई भूमि का अर्जन आवश्यक हो गया है।

4–भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नही हो रहा है।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते हैं–

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	कोल्हवा बुजुर्ग तप्पा असनार	383	0.0745705
2					384	0.0519847
3					385	0.0165222
4					379	0.0011928
5					378	0.0088565
6					377	0.0531037
7					380	0.0201507
8					376	0.0357526
9					375	0.0511665
10					370	0.1013858
11					368	0.0600334
12					367	0.0488191
13					366	0.0291589
14					364	0.0287781
15					363	0.0421371
16					362	0.0343186
17					360	0.0007999

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
18	सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	कोल्हवा बुजुर्ग तप्पा असनार	61	0.082409
19					60	0.081585
20					67	0.0006785
21					66	0.002914
22					65	0.0038465
23					64	0.0058705
24					63	0.010472
25					59	0.073802
26					58	0.081601
27					57	0.0613579
28					56	0.1181976
29					55	0.1215261
30					54	0.0259741
31					43	0.0222794
32					78	0.0191972
33					88	0.0013504
34					90	0.2432716
35					91	0.0930008
36					92	0.0569909
37					94	0.1982547
38					95	0.1811396
39					96	0.0098136
40					97	0.0025241
41					98	0.0397777
42					107	0.1864695
43					108	0.1064624
44					109	0.2331346
45					110	0.042559
46					111	0.1018508
47					112	0.0826902

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
48	सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	कोल्हवा बुजुर्ग तप्पा असनार	113	0.0034181
49					114	0.0369028
50					115	0.0127132
51					116	0.0106707
52					117	0.0115809
53					118	0.0108664
54					123	0.146052
55					124	0.0238528
56					125	0.5297988
57					126	0.016118
58					127	0.0090219
					योग . .	**3.7607274**

6–अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाऐं करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7–अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरूद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

सं0 8183/आठ-वि0भू0अ0अ0/सि0नगर/अधि0सू0/2023-24–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है, कि उप मुख्य अभियन्ता, कन्सट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे, गोरखपुर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बहराइच खलीलाबाद बी0 जी0 रेल लाईन परियोजना हेतु जनपद-सिद्धार्थनगर, तहसील-बॉसी, परगना-बॉसी पूरब, ग्राम-नेउसा में रकबा-3.4192519 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार (कलेक्टर-सिद्धार्थनगर) को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गई है। जिसे समुचित सरकार जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर द्वारा दिनांक 27 अप्रैल, 2023 को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है–

सेन्टर फॉर इण्डियन बॉम्बू रिसोर्स एण्ड टेक्नोलॉजी (सीबार्ट) वसुन्धरा, गाजियाबाद द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों एवं उससे होने वाले दुष्प्रभावों का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने का सुझाव देने के आशय से सामाजिक समाघात अध्ययन/प्रबन्धन आख्या तैयार किया गया है। अध्ययन पद्धति में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों से साक्षात्कार के आधार पर सामाजिक आर्थिक एव ंसांस्कृतिक स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्रामों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायत तहसील स्तर से आकड़े प्राप्त किये गये हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न हितधारकों से भी विचार विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन पूर्ण किया गया है।

परियोजना से प्रभावित ग्राम में प्रभावित कृषकों द्वारा मुख्य समस्याओं कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण आजीविका के श्रोत में ह्रास, कृषिगत मजदूरी में कमी, चारागाह/खलिहान में कमी, प्रदूषण में वृद्धि बताई गई, वहीं अधिकतर कृषकों द्वारा नई रेल लाईन के निर्माण से आवागमन में सुविधा, माल ढुलाई में सुविधा तथा रेलवे स्टेशन के निर्माण से व्यापार एवं रोजगार के सृजन होने की बात कही गई है।

इस परियोजना के फलस्वरूप प्रभावित ग्रामों के कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना स्वाभाविक है किन्तु प्रभावित कृषकों को भूमि अर्जन, पुनर्वासन, एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 के नियमो के अनुसार प्रतिकर मिलने की स्थिति में प्राप्त धनराशि से अवशेषजोत का उन्नयन, रेल निर्माण से आवागमन, यातायात में सुगमता, कृषि उत्पाद हेतु विस्तृत बाजार तक पहुॅच, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने के चयन की सुविधा, वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास, बेहतर आवास के निर्माण, परिवहन के साधनों का विकास होना सम्भावी है, आदि से किसान लाभान्वित होंगे जिससे कृषि जोत में आई कमी को पूर्ण किया जा सकता है। परियोजना ग्राम के सम्पूर्ण अथवा अधिकांश भाग को प्रभावित नहीं कर रही है। इस परियोजना से कोई मुख्य आबादी प्रभावित नहीं हो रही है। इस क्षेत्र में नई रेल लाइन के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जैसे परिवहन, होटल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सड़क, विद्युत आदि की सुविधायें प्राप्त होंगी। यह भी निश्चित रूप से संभावित है कि नई रेल लाइन परियोजना के संचालन के परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लोगों के सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगी।

सामाजिक समाघात अनुसन्धान के सदस्यों/प्रभावित भू-स्वामियों एवं पंचायती राज्य के सदस्यों के आधार पर अध्ययनकर्ता संस्था द्वारा निष्कर्ष निकाला गया है कि 30 प्रतिशत कास्तकार परिवर्तित मार्ग से सहमत नहीं है। ग्राम-समोगरा व वैदोली खुर्द में विस्थापन की सम्भावना है। ग्राम-घघुवा में कई किसान भूमिहीन हो जायेंगे। ग्राम-नेउसा, समोगरा और बैदोली खुर्द में लगभग 50 मकान प्रभावित हो रहे हैं एवं नहर और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना से प्रभावित हो रहा है। शासन द्वारा लाभार्थियों को सामाजिक और आर्थिक नुकसान न हो इस बात को दृष्टिगत रखना होगा। अस्तु बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्व सम्मति से बहराइच- खलीलाबाद बी0 जी0 नई रेल लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन पर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना से असहमत होते हुये आवश्यक भूमि का अर्जन न किये जाने की संस्तुति की गई है।

उक्त के सम्बन्ध में कार्यालय पत्रांक 7971/आठ-वि0भू0अ0अ0/सि0नगर/2023-24/दिनांक 30 जून, 2023 के माध्यम से अध्याप्त निकाय पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर को बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह के आकलन प्रतिवेदन दिनांक 20 जून, 2023 से अवगत कराया गया है। अवगत कराते हुये विशेषज्ञों/अभियन्ताओं से समस्या के निदान के लिये आवश्यक फलमूलक कार्यवाही कराते हुये विभाग के मत से अवगत कराने की अपेक्षा की गई है। उक्त के सम्बन्ध में पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर द्वारा उनके पत्र संख्या-डब्लू/कान/247/बी0जी0/जी0/भूमि अधिग्रहण भाग-1/दिनांक 13 जुलाई, 2023 के माध्यम से अवगत कराते हुये अनुरोध किया गया कि उप मुख्य अभियन्ता द्वारा उपजिलाधिकारी बॉसी के साथ संयुक्त रूप से प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया गया जिससे यह तथ्य संज्ञान में आया कि उक्त संरेखण में आने वाले 01 ग्राम-समोगरा में 05 मकान ऐसे हैं जो संरेखण में आ रहे है। इस संरेखण में आने वाले आवासधारियों से अद्योहस्ताक्षरी एवं उपजिलाधिकारी बॉसी द्वारा निजि तौर से वार्ता की गई, आवासधारियों द्वारा बताया गया कि सभी के मकान गॉव में है और यह अस्थाई मकान गॉव के बाहर बना रखे है। सभी आवासधारियों ने परियोजना के लिये भूमि देने के लिये सहमति दशाई गई है। आगे पत्र में अनुरोध किया गया है कि ग्राम-सोनवलिया से ग्राम-गौरी तक जो भूमि इस परियोजना हेतु अधिग्रहीत की जानी है कार्यवाही शीघ्र पूर्ण किया जाये। उक्त के सम्बन्ध में सम्बन्धित तहसील की आख्या दिनांक 21 अगस्त, 2023 द्वारा भी सहमति जताई गई है।

अधिनियम-2013 की धारा-7(4)ख के अनुसार परन्तु यह और की जहॉ समुचित सरकार ऐसी सिफारिशों के बावजूद अर्जन की कार्यवाही करना चाहती है तो वह यह सुनिश्चित करेगी की ऐसा करने के उसके कारण अभिलेख बद्ध किये जायेंगे। जिसके सम्बन्ध में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट/विशेषज्ञ समूह द्वारा दी गई सिफारिशों पर समुचित सरकार द्वारा विचार/परीक्षण एवं अधिग्रहण की स्वीकृति सम्बन्धी दशाओं/स्थितियों को लेखबद्ध करते हुये जनसामान्य हेतु सामाचार-पत्रों में, जनपद की वेबसाइट, तहसील, ग्राम एवं कलेक्टर के नोटिस बोर्ड आदि पर प्रख्याप्ति कराया गया है। उक्त के सम्बन्ध में समुचित सरकार की राय यह है कि प्रस्तावित अर्जन एक विधि सम्मत और सद्भाविक लोक प्रयोजन है। जिसके कारण पहचान की गई भूमि का अर्जन आवश्यक हो गया है।

4–भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नही हो रहा है।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते हैं–

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	नेउसा तप्पा कुदारन	2	0.2900074
2					3	0.0788256
3					4	0.0463969
4					201	0.0512026
5					196	0.1102341
6					195	0.3923228
7					194	0.1197828
8					193	0.0738464
9					191	0.0172953
10					189	0.1222453
11					177	0.4659651
12					186	0.0043708
13					187	0.022161
14					188	0.11362
15					178	0.2563606
16					176	0.0592229
17					175	0.0014927
18					174	0.3307486
19					170	0.0024055

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
20	सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	नेउसा तप्पा कुदारन	84	0.1335743
21					83	0.0223142
22					82	0.0012711
23					81	0.0199537
24					172	0.0487688
25					87	0.0425699
26					272	0.1185751
27					271	0.0453877
28					270	0.0344433
29					269	0.0172739
30					268	0.0030999
31					282	0.1331262
32					276	0.0020221
33					277	0.014978
34					281	0.0774257
35					280	0.0382831
36					283	0.0298678
37					292	0.0004454
38					284	0.018666
39					315	0.0586993
					योग . .	**3.4192519**

6–अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाऐं करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7–अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरूद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

सं0 8184/आठ-वि0भू0अ0अ0/सि0नगर/अधि0सू0/2023-24—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है, कि उप मुख्य अभियन्ता, कन्सट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे, गोरखपुर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बहराइच खलीलाबाद बी0 जी0 रेल लाईन परियोजना हेतु जनपद-सिद्धार्थनगर, तहसील-बॉसी, परगना-बॉसी पूरब, ग्राम-डबरा में रकबा-2.328294 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2—राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार (कलेक्टर-सिद्धार्थनगर) को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गई है। जिसे समुचित सरकार जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर द्वारा दिनांक 27 अप्रैल, 2023 को अनुमोदित किया गया है।

3—सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है—

सेन्टर फॉर इण्डियन बॉम्बू रिसोर्स एण्ड टेक्नोलॉजी (सीबार्ट) वसुन्धरा, गाजियाबाद द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों एवं उससे होने वाले दुष्प्रभावों का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने का सुझाव देने के आशय से सामाजिक समाघात अध्ययन/प्रबन्धन आख्या तैयार किया गया है। अध्ययन पद्धति में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों से साक्षात्कार के आधार पर सामाजिक आर्थिक एव ंसांस्कृतिक स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्रामों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायत तहसील स्तर से आकड़े प्राप्त किये गये हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न हितधारकों से भी विचार विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन पूर्ण किया गया है।

परियोजना से प्रभावित ग्राम में प्रभावित कृषकों द्वारा मुख्य समस्याओं कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण आजीविका के श्रोत में ह्रास, कृषिगत मजदूरी में कमी, चारागाह/खलिहान में कमी, प्रदूषण में वृद्धि बताई गई, वहीं अधिकतर कृषकों द्वारा नई रेल लाईन के निर्माण से आवागमन में सुविधा, माल ढुलाई में सुविधा तथा रेलवे स्टेशन के निर्माण से व्यापार एवं रोजगार के सृजन होने की बात कही गई है।

इस परियोजना के फलस्वरूप प्रभावित ग्रामों के कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना स्वाभाविक है किन्तु प्रभावित कृषकों को भूमि अर्जन, पुनर्वासन, एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 के नियमो के अनुसार प्रतिकर मिलने की स्थिति में प्राप्त धनराशि से अवशेषजोत का उन्नयन, रेल निर्माण से आवागमन, यातायात में सुगमता, कृषि उत्पाद हेतु विस्तृत बाजार तक पहुॅच, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने के चयन की सुविधा, वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास, बेहतर आवास के निर्माण, परिवहन के साधनों का विकास होना सम्भावी है, आदि से किसान लाभान्वित होंगे जिससे कृषि जोत में आई कमी को पूर्ण किया जा सकता है। परियोजना ग्राम के सम्पूर्ण अथवा अधिकांश भाग को प्रभावित नहीं कर रही है। इस परियोजना से कोई मुख्य आबादी प्रभावित नहीं हो रही है। इस क्षेत्र में नई रेल लाइन के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जैसे परिवहन, होटल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सड़क, विद्युत आदि की सुविधायें प्राप्त होंगी। यह भी निश्चित रूप से संभावित है कि नई रेल लाइन परियोजना के संचालन के परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लोगों के सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगी।

सामाजिक समाघात अनुसन्धान के सदस्यों/प्रभावित भू-स्वामियों एवं पंचायती राज्य के सदस्यों के आधार पर अध्ययनकर्ता संस्था द्वारा निष्कर्ष निकाला गया है कि 30 प्रतिशत कास्तकार परिवर्तित मार्ग से सहमत नहीं है। ग्राम-समोगरा व वैदोली खुर्द में विस्थापन की सम्भावना है। ग्राम-घघुवा में कई किसान भूमिहीन हो जायेंगे। ग्राम-नेउसा, समोगरा और बैदोली खुर्द में लगभग 50 मकान प्रभावित हो रहे है एवं नहर और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना से प्रभावित हो रहा है। शासन द्वारा लाभार्थियों को सामाजिक और आर्थिक नुकसान न हो इस बात को दृष्टिगत रखना होगा। अस्तु बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्व सम्मति से बहराइच-खलीलाबाद बी0 जी0 नई रेल लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन पर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना से असहमत होते हुये आवश्यक भूमि का अर्जन न किये जाने की संस्तुति की गई है।

उक्त के सम्बन्ध में कार्यालय पत्रांक 7971/आठ-वि0भू0अ0अ0/सि0नगर/2023-24/दिनांक 30 जून, 2023 के माध्यम से अध्याप्त निकाय पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर को बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह के आकलन प्रतिवेदन दिनांक 20 जून, 2023 से अवगत कराया गया है। अवगत कराते हुये विशेषज्ञों/अभियन्ताओं से समस्या के निदान के लिये आवश्यक फलमूलक कार्यवाही कराते हुये विभाग के मत से अवगत कराने की अपेक्षा की गई है। उक्त के सम्बन्ध में पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर द्वारा उनके पत्र संख्या-डब्लू/कान/247/बी0जी0/जी0/भूमि अधिग्रहण भाग-1/दिनांक 13 जुलाई, 2023 के माध्यम से अवगत कराते हुये अनुरोध किया गया कि उप मुख्य अभियन्ता द्वारा उपजिलाधिकारी बॉसी के साथ संयुक्त रूप से प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया गया जिससे यह तथ्य संज्ञान में आया कि उक्त संरेखण में आने वाले 01 ग्राम-समोगरा में 05 मकान ऐसे है जो संरेखण में आ रहे है। इस संरेखण में आने वाले आवासधारियों से अद्योहस्ताक्षरी एवं उपजिलाधिकारी बॉसी द्वारा निजि तौर से वार्ता की गई, आवासधारियों द्वारा बताया गया कि सभी के मकान गॉव में है और यह अस्थाई मकान गॉव के बाहर बना रखे है। सभी आवासधारियों ने परियोजना के लिये भूमि देने के लिये सहमति दशाई गई है। आगे पत्र में अनुरोध किया गया है कि ग्राम-सोनवलिया से ग्राम-गौरी तक जो भूमि इस परियोजना हेतु अधिग्रहीत की जानी है कार्यवाही शीघ्र पूर्ण किया जाये। उक्त के सम्बन्ध में सम्बन्धित तहसील की आख्या दिनांक 21 अगस्त, 2023 द्वारा भी सहमति जताई गई है।

अधिनियम-2013 की धारा-7(4)ख के अनुसार परन्तु यह और की जहॉ समुचित सरकार ऐसी सिफारिशों के बावजूद अर्जन की कार्यवाही करना चाहती है तो वह यह सुनिश्चित करेगी की ऐसा करने के उसके कारण अभिलेख बद्ध किये जायेंगे। जिसके सम्बन्ध में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट/विशेषज्ञ समूह द्वारा दी गई सिफारिशों पर समुचित सरकार द्वारा विचार/परीक्षण एवं अधिग्रहण की स्वीकृति सम्बन्धी दशाओं/स्थितियों को लेखबद्ध करते हुये जनसामान्य हेतु सामाचार-पत्रों में, जनपद की वेबसाइट, तहसील, ग्राम एवं कलेक्टर के नोटिस बोर्ड आदि पर प्रख्याप्ति कराया गया है। उक्त के सम्बन्ध में समुचित सरकार की राय यह है कि प्रस्तावित अर्जन एक विधि सम्मत और सद्भाविक लोक प्रयोजन है। जिसके कारण पहचान की गई भूमि का अर्जन आवश्यक हो गया है।

4—भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

5—अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते हैं—

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	डबरा तप्पा कुदारन	64	0.2077129
2					65	0.0533183
3					66	0.0394181
4					68	0.0216908
5					144	0.368861
6					145	0.0881041
7					147	0.0139845
8					149	0.0006548
9					174	0.0081948
10					175	0.0041392

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
11	सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	डबरा तप्पा कुदारन	176	0.0039864
12					177	0.0011641
13					180	0.1107223
14					181	0.1592595
15					182	0.0565371
16					191	0.0327235
17					192	0.0026187
18					200	0.2596716
19					199	0.0649152
20					202	0.0690147
21					203	0.0158542
22					207	0.0362326
23					208	0.0229282
24					209	0.0002089
25					213	0.473058
26					220	0.0169918
27					221	0.0333674
28					222	0.0353816
29					223	0.0607862
30					224	0.0009254
31					225	0.0658681
					योग . .	**2.328294**

6–अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाऐं करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7–अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरूद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,
कलेक्टर,
सिद्धार्थनगर।

जनता के प्रयोजनार्थ, भूमि नियोजन की विज्ञप्तियां

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश

प्रारूप-19

नियम-27 का उपनियम (1)

समुचित सरकार/कलेक्टर द्वारा घोषणा

[अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत]

अधिसूचना

25 अक्टूबर, 2023 ई0

सं0 246/आठ-वि0भू0अ0अ0/मुरादाबाद/2023–सिंचाई एंव जल संसाधन उत्तर प्रदेश द्वारा अधिशासी अभियन्ता, मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड–3, अमरोहा (अपेक्षित निकाय का नाम) के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) जटपुरा अल्पिका के नहर निर्माण हेतु जनपद मुरादाबाद, तहसील बिलारी, परगना कुन्दरकी, ग्राम लालपुर हमीर में कुल 0.2478 हे0 भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–11 की उपधारा–(1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या ..... दिनांक ..... को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से प्रकाशित दिनांक ..... को प्रकाशित की गयी थी। डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेट कलेक्टर ..... को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था।

अधिनियम की धारा-15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त धारा-19(1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देते हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची ''क'' में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची ''ख'' में उल्लिखित जनपद मुरादाबाद, तहसील बिलारी, परगना कुन्दरकी, ग्राम लालपुर हमीर में कुल 0.2478 हे0 भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिहिन्त किया गया है।

राज्यपाल अग्रेत्तर निर्देश देते हैं कि अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के सारांश के प्रकाशन हेतु ..... कलेक्टर को निर्देशित करते है। पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ संलग्न है।

अनुसूची-क

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भ-ूखण्ड सं0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
मुरादाबाद	बिलारी	कुन्दरकी	लालपुर हमीर	130मि0	0.1708
				138	0.0770
				योग . .	**0.2478**

अनुसूची–ख

(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिहिन्त भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भ-ूखण्ड सं0	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
–विस्थापित परिवारो की संख्या ''शून्य''–					

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थल नक्शा जनपद मुरादाबाद के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

कलेक्टर द्वारा घोषणा की अधिसूचना

अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत,

सिंचाई एंव जल संसाधन उत्तर प्रदेश द्वारा अधिशासी अभियन्ता, मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड–3, अमरोहा (अपेक्षित निकाय का नाम) के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन की मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) जटपुरा अल्पिका के नहर निर्माण हेतु जनपद मुरादाबाद, तहसील बिलारी, परगना कुन्दरकी, ग्राम लालपुर हमीर में कुल 0.2478 हे0 भूमि के लिए प्रकाशित अधिसूचना संख्या....246.....दिनांक...25.10.2023... के क्रम में मेरे द्वारा घोषणा का प्रकाशन कर दिया गया है तथा सरकारी अधिसूचना के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश संलग्न कर दिया गया है। पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश निम्नवत् है–

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में भूमि अर्जन के उद्देश्य से देखा जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,
जिलाधिकारी,
जनपद-मुरादाबाद।

IRRIGATION AND WATER RESOURCES DEPARTMENT, UTTAR PRADESH

FORM-19

[Sub-rule (1) of rule 27]

PRELIMINARY NOTIFIACTION BY APPROPRIATE GOVERMENT/COLLECTOR

[UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 19 OF THE ACT]

NOTIFICATION

October 25, 2023

No. 246/VIII-S.L.A.O./Moradabad/2023–Whereas Preliminary notification no …..... dated …… was issued under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect of 0.2478 hectares of land in Village- Lalpur Hameer, Pargana-Kundarki, Tehsil-Bilari, District-Moradabad is required for public purpose, namely, project Madhya Ganga Canal Phase 2nd (Construction of Jatpura Minor) through Irrigation and Water Resources Department, Uttar Pradesh through Executive Engineer, Madhya Ganga Canal Construction

Division-3, Amroha (name of requiring body) and lastly published on dated …… The Deputy Collector/Assistant Collector …… Was appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families.

After considering the report of the Collector submitted in pursuance to provision under sub section (2) of the section 15 of the Act, the Governor is pleased to declare under section 19(1) of the Act that he is satisfied that the area of the land mentioned in the given schedule "A" is needed for public purpose and the land to the extent of 0.2478 hectares in Village-Lalpur Hameer, Pargana- Kundarki, Tehsil- Bilari, District-Moradabad, as given in schedule "B" has been identified as the Rehabilitation and Resettlement area for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the displaced families.

The Governor is further pleased under sub-section (2) of section 19 of the Act, to direct the Collector of Sambhal to publish a summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme with publication of the declaration to this effect. The summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is attached herewith.

SCHEDULE-A

(Land under proposed acquisition)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectares
Moradabad	Bilari	Kundarki	Lalpur Hameer	130m	0.1708
				138	0.0770
				Grand Total . .	**0.2478**

SCHEDULE-B

(Land indentified as settlement area for displaced families)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area earmarked for rehabilitation
1	2	3	4	5	6
					Hectares

No. of displaced families is 'ZERO'

NOTE: A plan of land may be inspected in the Office of the Collector Moradabad for the purpose of acquisition.

(*Sd*.) ILLIGIBILE,
District Magistrate,
Moradabad.

जनता के प्रयोजनार्थ भूमि नियोजन की विज्ञप्तियां

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश

प्रारूप-18

नियम-20 का उपनियम (2)

(अधिनियम की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)

अधिसूचना

01 नवम्बर, 2023 ई0

सं0 275/आठ–वि0भू0अ0अ0/मुरादाबाद/2023–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के प्रयोजन हेतु) राय है, कि सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा अधिशासी अभियन्ता, मध्य गंगा निर्माण खण्ड-9, सम्भल (आपेक्षक निकाय का नाम) के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) सम्भल अल्पिका टेल के निर्माण हेतु जनपद सम्भल, तहसील चन्दौसी, परगना चन्दौसी, ग्राम मौहम्मदपुर काशी में कुल 0.01901 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है जिसे समुचित सरकार द्वारा 0.000 दिनांक 09.01.2019 को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार हैः–

सामाजिक समाघात लागू नहीं हैं।

4–भूमि अर्जन के कारण कुल 01 परिवार के विस्थापित होने की संभावना है इस विस्थापन के लिये अपरिहार्य कारण निम्नवत् है–

डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिये सहर्ष सहमति देते हैं–

अनुसूची

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
सम्भल	चन्दौसी	चन्दौसी	मौहम्मदपुर काशी	146	0.01901

6–अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिये समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाएं करने के लिये राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7–अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 (दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,
जिलाधिकारी,
जनपद-सम्भल।

IRRIGATION AND WATER RESOURCES DEPARTMENT, UTTAR PRADESH

FORM-18

[Sub-rule (2) of rule 20]

PRELIMINARY NOTIFIACTION BY APPROPRIATE GOVERMENT/COLLECTOR

[UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 11 OF THE ACT]

NOTIFICATION

November 01, 2023

No. 275/VIII-S.L.A.O./Moradabad/2023–Under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, Whereas the Government of Uttar Pradesh / Collector (for the purpose of Appropriate Government) is satisfied that a total of hectares of land is required in the Village-Mohammadpur Kashi, Pargana-Chandausi, Tehsil-Chandausi, District-Sambhal is required for public purpose, namely, project Madhya Ganga Canal Phase 2nd through Irrigation and Water Resources Department, Uttar Pradesh through Executive Engineer, Madhya Ganga Canal Construction Division-9, Sambhal (name of requiring body).

2. Social Impact Assessment study was carried out by the State Social Impact Assessment Agency and submits its recommendations to the Appropriate Government which has approved its recommendation on dated…….

3. The summary of the Social Impact Assessment Report as follows:

SOCIAL IMPACT ASSESSMENT IS NOT APPLICABLE-

4. A total of 01 families are likely to be displaced due to the land acquisition. The reason necessitating such displacement is as under:-

Deputy Collector/Assistant Collector …… is appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families.

5. Therefore, the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the Schedule below is needed for public purpose.

SCHEDULE

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectares
Sambhal	Chandausi	Chandausi	Mohammadpur Kashi	**146**	**0.01901**

6. The Governor is also pleased to authorise the Collector for the purpose of land acquisition to take necessary steps to entre upon and survey of land, take levels of any land, dig or sub soil into the sub-oil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7. Under section 15 of the Act, any person interested in the land may within 60 (days) after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8. Under section 11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land *i.e.* sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

NOTE: A plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

(*Sd.*) ILIGIBILE,
Collector, Sambhal.

प्रारूप-18

नियम-20 का उपनियम (2)

(अधिनियम की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)

अधिसूचना

01 नवम्बर, 2023 ई0

सं0 276/आठ-वि0भू0अ0अ0/मुरादाबाद/2023–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के प्रयोजन हेतु) राय है, कि सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा अधिशासी अभियन्ता, मध्य गंगा निर्माण खण्ड-9, सम्भल (आपेक्षक निकाय का नाम) के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) सम्भल अल्पिका मुबारकपुर के निर्माण हेतु जनपद सम्भल, तहसील चन्दौसी, परगना चन्दौसी, ग्राम औरंगपुर सिलेटा में कुल 0.0108 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है जिसे समुचित सरकार द्वारा 0.000 दिनांक 09.01.2019 को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार हैः–

सामाजिक समाघात लागू नहीं हैं।

4–भूमि अर्जन के कारण कुल 02 परिवार के विस्थापित होने की संभावना है इस विस्थापन के लिये अपरिहार्य कारण निम्नवत् हैः–

डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिय सहर्ष सहमति देते हैं–

अनुसूची

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
सम्भल	चन्दौसी	चन्दौसी	औरंगपुर सिलेटा	217-मि0	0.0080
				169	0.0028
				योगः–	**0.0108**

6–अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिये समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाएं करने के लिये राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते है।

7–अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 (दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी–उक्त भूमिका का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,
जिलाधिकारी,
जनपद-सम्भल।

IRRIGATION AND WATER RESOURCES DEPARTMENT, UTTAR PRADESH

FORM-18

[Sub-rule (2) of rule 20]

PRELIMINARY NOTIFIACTION BY APPROPRIATE GOVERMENT/COLLECTOR

[UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 11 OF THE ACT]

NOTIFICATION

November 01, 2023

No. 276/VIII-S.L.A.O./Moradabad/2023–Under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, Whereas the Government of Uttar Pradesh / Collector (for the purpose of Appropriate Government) is satisfied that a total of hectares of land is required in the Village-Orangpur Sileta, Pargana-Chandausi, Tehsil-Chandausi, District-Sambhal is required for public purpose, namely, project Madhya Ganga Canal Phase 2nd through Irrigation and Water Resources Department, Uttar Pradesh through Executive Engineer, Madhya Ganga Canal Construction Division-9, Sambhal (name of requiring body).

2. Social Impact Assessment study was carried out by the State Social Impact Assessment Agency and submits its recommendations to the Appropriate Government which has approved its recommendation on dated…….

3. The summary of the Social Impact Assessment Report as follows:

SOCIAL IMPACT ASSESSMENT IS NOT APPLICABLE.

4. A total of 02 families are likely to be displaced due to the land acquisition. The reason necessitating such displacement is as under:-

Deputy Collector/Assistant Collector …… is appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families.

5. Therefore, the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the Schedule below is needed for public purpose.

SCHEDULE

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectares
Sambhal	Chandausi	Chandausi	Orangpur Sileta	217 M	0.0080
				169	0.0028
				Total . .	**0.0108**

6. The Governor is also pleased to authorise the Collector for the purpose of land acquisition to take necessary steps to entre upon and survey of land, take levels of any land, dig or sub soil into the sub-oil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7. Under section 15 of the Act, any person interested in the land may within 60 (days) after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8. Under section 11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land *i.e*. sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

NOTE: A plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

(*Sd.*) ILIGIBILE,
Collector, Sambhal.

प्रारूप-18

नियम-20 का उपनियम (2)

(अधिनियम की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)

अधिसूचना

01 नवम्बर, 2023 ई0

सं0 277/आठ-वि0भू0अ0अ0/मुरादाबाद/2023–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के प्रयोजन हेतु) राय है, कि सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा अधिशासी अभियन्ता, मध्य गंगा निर्माण खण्ड-9, सम्भल (आपेक्षक निकाय का नाम) के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) सम्भल अल्पिका भीमपुर के निर्माण हेतु जनपद सम्भल, तहसील चन्दौसी, परगना चन्दौसी ग्राम-गुमथल में कुल 0.0451 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है जिसे समुचित सरकार द्वारा 0.000 दिनांक 09.01.2019 को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार हैः–

सामाजिक समाघात लागू नहीं है।

4–भूमि अर्जन के कारण कुल **02** परिवार के विस्थापित होने की संभावना है इस विस्थापन के लिये अपरिहार्य कारण निम्नवत् हैः–

डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिये सहर्ष सहमति देते हैं–

अनुसूची

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
सम्भल	चन्दौसी	चन्दौसी	गुमथल	152	0.0312
				200	0.0139
				योग . .	**0.0451**

6–अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिये समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाएं करने के लिये राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7–अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 (दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी– उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,
जिलाधिकारी,
जनपद-सम्भल।

IRRIGATION AND WATER RESOURCES DEPARTMENT, UTTAR PRADESH

FORM-18

[Sub-rule (2) of rule 20]

PRELIMINARY NOTIFIACTION BY APPROPRIATE GOVERMENT/COLLECTOR

[UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 11 OF THE ACT]

NOTIFICATION

November 01, 2023

No. 277/VIII-S.L.A.O./Moradabad/2023–Under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, Whereas the Government of Uttar Pradesh / Collector (for the purpose of Appropriate Government) is satisfied that a total of hectares of land is required in the Village-Gumthal, Pargana-Chandausi, Tehsil-Chandausi, District Sambhal is required for public purpose, namely, project Madhya Ganga Canal Phase 2nd through Irrigation and Water Resources Department, Uttar Pradesh through Executive Engineer, Madhya Ganga Canal Construction Division-9, Sambhal (name of requiring body).

2. Social Impact Assessment study was carried out by the State Social Impact Assessment Agency and submits its recommendations to the Appropriate Government which has approved its recommendation on dated…….

3. The summary of the Social Impact Assessment Report as follows:

SOCIAL IMPACT ASSESSMENT IS NOT APPLICABLE.

4. A total of **02** families are likely to be displaced due to the land acquisition. The reason necessitating such displacement is as under:-

Deputy Collector/Assistant Collector …… is appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families.

5. Therefore, the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the Schedule below is needed for public purpose.

SCHEDULE

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectares
Sambhal	Chandausi	Chandausi	Gumthal	152	0.0312
				200	0.0139
				Total . .	**0.0451**

6. The Governor is also pleased to authorise the Collector for the purpose of land acquisition to take necessary steps to entre upon and survey of land, take levels of any land, dig or sub soil into the sub-oil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7. Under section 15 of the Act, any person interested in the land may within **60** (days) after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8. Under section 11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land *i.e.* sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

NOTE- A plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

(*Sd.*) ILIGIBILE,
Collector, Sambhal.

प्रारूप-18

नियम-20 का उपनियम (2)

(अधिनियम की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)

अधिसूचना

01 नवम्बर, 2023 ई0

सं0 278/आठ-वि0भू0अ0अ0/मुरादाबाद/2023–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के प्रयोजन हेतु) राय है, कि सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा अधिशासी अभियन्ता, मध्य गंगा निर्माण खण्ड-9, सम्भल (आपेक्षक निकाय का नाम) के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) सम्भल अल्पिका थरैसा जयसिंह के निर्माण हेतु जनपद सम्भल, तहसील चन्दौसी, परगना चन्दौसी, ग्राम थरैसा जयसिंह में कुल 0.1662 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है जिसे समुचित सरकार द्वारा 0.000 दिनांक 09.01.2019 को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार हैः–

सामाजिक समाघात लागू नही है।

4–भूमि अर्जन के कारण कुल 00 परिवार के विस्थापित होने की संभावना है इस विस्थापन के लिये अपरिहार्य कारण निम्नवत् हैः–

डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिये सहर्ष सहमति देते हैं–

अनुसूची

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
सम्भल	चन्दौसी	चन्दौसी	थरैसा जयसिंह	980	0.0240
				999	0.0090
				1018	0.0492
				1080	0.0840
				योग . .	**0.1662**

6–अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिये समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिये राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते है।

7–अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 (दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरूद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी– उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,
जिलाधिकारी,
जनपद-सम्भल।

IRRIGATION AND WATER RESOURCES DEPARTMENT, UTTAR PRADESH

FORM-18

[Sub-rule (2) of rule 20]

PRELIMINARY NOTIFIACTION BY APPROPRIATE GOVERMENT/COLLECTOR

[UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 11 OF THE ACT]

NOTIFICATION

November 01, 2023

No. 278/VIII-S.L.A.O./Moradabad/2023–Under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, Whereas the Government of Uttar Pradesh / Collector (for the purpose of Appropriate Government) is satisfied that a total of hectares of land is required in the Village Tharesa Jay Singh, Pargana-Chandausi, Tehsil-Chandausi, District-Sambhal is required for public purpose, namely, project Madhya Ganga Canal Phase 2nd through Irrigation and Water Resources Department, Uttar Pradesh through Executive Engineer, Madhya Ganga Canal Construction Division-9, Sambhal (name of requiring body).

2. Social Impact Assessment study was carried out by the State Social Impact Assessment agency and submits its recommendations to the Appropriate Government which has approved its recommendation on dated…….

3. The summary of the Social Impact Assessment Report as follows:

SOCIAL IMPACT ASSESSMENT IS NOT APPLICABLE.

4. A total of 00 families are likely to be displaced due to the land acquisition. The reason necessitating such displacement is as under:-

Deputy Collector/Assistant Collector …… is appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families.

5. Therefore, the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the Schedule below is needed for public purpose.

SCHEDULE

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectares
Sambhal	Chandausi	Chandausi	Tharesa Jay Singh	980	0.0240
				999	0.0090
				1018	0.0492
				1080	0.0840
				Total . .	**0.1662**

6. The Governor is also pleased to authorise the Collector for the purpose of land acquisition to take necessary steps to entre upon and survey of land, take levels of any land, dig or sub soil into the sub-oil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7. Under section 15 of the Act, any person interested in the land may within **60** (days) after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8. Under section 11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land *i.e.* sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

NOTE-A plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

(*Sd.*) ILIGIBILE,
Collector, Sambhal.

प्रारूप-18

नियम-20 का उपनियम (2)

(अधिनियम की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)

अधिसूचना

01 नवम्बर, 2023 ई0

सं0 279/आठ-वि0भू0अ0अ0/मुरादाबाद/2023–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के प्रयोजन हेतु) राय है, कि सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा अधिशासी अभियन्ता, मध्य गंगा निर्माण खण्ड-9, सम्भल (आपेक्षक निकाय का नाम) के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) सम्भल अल्पिका फत्तेहपुर के निर्माण हेतु जनपद सम्भल, तहसील सम्भल, परगना सम्भल, ग्राम फत्तेहपुर सराय में कुल 0.0150 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है जिसे समुचित सरकार द्वारा 0.000 दिनांक 09.01.2019 को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार हैः–

सामाजिक समाघात लागू नहीं है।

4–भूमि अर्जन के कारण कुल 01 परिवार के विस्थापित होने की संभावना है इस विस्थापन के लिए अपरिहार्य कारण निम्नवत् हैः–

डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर.....को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते है।

अनुसूची

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
सम्भल	सम्भल	सम्भल	फत्तेहपुर सराय	133	0.0150

6–अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिये समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाएं करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते है।

7–अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 (दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरूद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणीः– उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,
जिलाधिकारी,
जनपद-सम्भल।

IRRIGATION AND WATER RESOURCES DEPARTMENT, UTTAR PRADESH

FORM-18

[Sub-rule (2) of rule 20]

PRELIMINARY NOTIFIACTION BY APPROPRIATE GOVERMENT/COLLECTOR

[UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 11 OF THE ACT]

NOTIFICATION

November 01, 2023

No. 279/VIII-S.L.A.O./Moradabad/2023–Under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, Whereas the Government of Uttar Pradesh / Collector (for the purpose of Appropriate Government) is satisfied that a total of hectares of land is required in the Village-Fattehpur Sarai, Pargana-Sambhal, Tehsil-Sambhal, District- Sambhal is required for public purpose, namely, project Madhya Ganga Canal Phase 2nd through Irrigation and Water Resources Department, Uttar Pradesh through Executive Engineer, Madhya Ganga Canal Construction Division-9, Sambhal (name of requiring body).

2. Social Impact Assessment study was carried out by the State Social Impact Assessment Agency and submits its recommendations to the Appropriate Government which has approved its recommendation on dated…….

3. The summary of the Social Impact Assessment Report as follows:

SOCIAL IMPACT ASSESSMENT IS NOT APPLICABLE.

4. A total of **01** families are likely to be displaced due to the land acquisition. The reason necessitating such displacement is as under:-

Deputy Collector/Assistant Collector …… is appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families.

5. Therefore, the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the Schedule below is needed for public purpose.

SCHEDULE

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectares
Sambhal	Sambhal	Sambhal	Fattehpur Sarai	**133**	**0.0150**

6. The Governor is also pleased to authorise the Collector for the purpose of land acquisition to take necessary steps to entre upon and survey of land, take levels of any land, dig or sub soil into the sub-oil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7. Under section 15 of the Act, any person interested in the land may within **60** (days) after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8. Under section 11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land *i.e.* sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

NOTE: A plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

(*Sd.*) ILIGIBILE,
Collector, Sambhal.

प्रारूप-18

नियम-20 का उपनियम (2)

(अधिनियम की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)

अधिसूचना

01 नवम्बर, 2023 ई0

सं0 280/आठ-वि0भू0अ0अ0/मुरादाबाद/2023–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के प्रयोजन हेतु) राय है, कि सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा अधिशासी अभियन्ता, मध्य गंगा निर्माण खण्ड-9, सम्भल (आपेक्षक निकाय का नाम) के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) सम्भल चन्दौसी शाखा के निर्माण हेतु जनपद सम्भल, तहसील सम्भल, परगना सम्भल, ग्राम जमालपुर में कुल 0.0672 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

1–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है जिसे समुचित सरकार द्वारा दिनांक 22.12.2017 को अनुमोदित किया गया है।

2–सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार हैः–

सामाजिक समाघात लागू नही है।

3–भूमि अर्जन के कारण कुल शून्य परिवार के विस्थापित होने की संभावना है इस विस्थापन के लिए अपरिहार्य कारण निम्नवत् हैः–

डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर.....को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

4–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते है।

अनुसूची

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भ-ूखण्ड सं0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
सम्भल	सम्भल	सम्भल	जमालपुर	18	0.0672

6–अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिये समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाए करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते है।

7–अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 (दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरूद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणीः– उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,
जिलाधिकारी,
जनपद-सम्भल।

IRRIGATION AND WATER RESOURCES DEPARTMENT, UTTAR PRADESH

FORM-18

[Sub-rule (2) of rule 20]

PRELIMINARY NOTIFIACTION BY APPROPRIATE GOVERMENT/COLLECTOR

[UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 11 OF THE ACT]

NOTIFICATION

November 01, 2023

No. 280/VIII-S.L.A.O./Moradabad/2023–Under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, Whereas the Government of Uttar Pradesh / Collector (for the purpose of Appropriate Government) is satisfied that a total of hectares of land is required in the Village-Jamalpur, Pargana-Sambhal, Tehsil-Sambhal, District-Sambhal is required for public purpose, namely, project Madhya Ganga Canal Phase 2nd through Irrigation and Water Resources Department, Uttar Pradesh through Executive Engineer, Madhya Ganga Canal Construction Division-9, Sambhal (name of requiring body).

2. Social Impact Assessment study was carried out by the State Social Impact Assessment Agency and submits its recommendations to the Appropriate Government which has approved its recommendation on dated…….

3. The summary of the Social Impact Assessment Report as follows:

SOCIAL IMPACT ASSESSMENT IS NOT APPLICABLE.

4. A total of Zero families are likely to be displaced due to the land acquisition. The reason necessitating such displacement is as under:-

Deputy Collector/Assistant Collector …… is appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families.

5. Therefore, the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the Schedule below is needed for public purpose.

SCHEDULE

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectares
Sambhal	Sambhal	Sambhal	Jamalpur	**18**	**0.0672**

6. The Governor is also pleased to authorise the Collector for the purpose of land acquisition to take necessary steps to entre upon and survey of land, take levels of any land, dig or sub soil into the sub-oil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7. Under section 15 of the Act, any person interested in the land may within 60 (days) after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8. Under section 11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land *i.e.* sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

NOTE: A plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

(*Sd.*) ILIGIBILE,
Collector, Sambhal.

प्रारूप-18

नियम-20 का उपनियम (2)

(अधिनियम की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)

अधिसूचना

01 नवम्बर, 2023 ई0

सं0 281/आठ-वि0भू0अ0अ0/मुरादाबाद/2023—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के प्रयोजन हेतु) राय है, कि सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा अधिशासी अभियन्ता, मध्य गंगा निर्माण खण्ड-9, सम्भल (आपेक्षक निकाय का नाम) के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) सम्भल अल्पिका फत्तेहपुर के निर्माण हेतु जनपद सम्भल, तहसील सम्भल, परगना सम्भल, ग्राम अल्हादपुर खन्ना में कुल 0.0202 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

1—राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है जिसे समुचित सरकार द्वारा 0.000 दिनांक 09.01.2019 को अनुमोदित किया गया है।

2–सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार हैः–

सामाजिक समाघात लागू नही है।

3–भूमि अर्जन के कारण कुल 01 परिवार के विस्थापित होने की संभावना है इस विस्थापन के लिए अपरिहार्य कारण निम्नवत् हैः–

4–डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर.....को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते है।

अनुसूची

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भ-ूखण्ड सं0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
सम्भल	सम्भल	सम्भल	अल्हादपुर खन्ना	54	0.0202

6–अधिनियम की धारा–12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिये समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाए करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते है।

7–अधिनियम की धारा–15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 (दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरूद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा–11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणीः– उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,
जिलाधिकारी,
जनपद-सम्भल।

IRRIGATION AND WATER RESOURCES DEPARTMENT, UTTAR PRADESH

FORM-18

[Sub-rule (2) of rule 20]

PRELIMINARY NOTIFIACTION BY APPROPRIATE GOVERMENT/COLLECTOR

[UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 11 OF THE ACT]

NOTIFICATION

November 01, 2023

No. 281/VIII-S.L.A.O./Moradabad/2023–Under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, Whereas the Government of Uttar Pradesh / Collector (for the purpose of Appropriate Government) is satisfied that a total of hectares of land is required in the Village-Alhadpur Khanna, Pargana-Sambhal, Tehsil-Sambhal, District-Sambhal is required for public purpose, namely, project Madhya Ganga Canal Phase 2nd through Irrigation and Water Resources Department, Uttar Pradesh through Executive Engineer, Madhya Ganga Canal Construction Division-9, Sambhal (name of requiring body).

2. Social Impact Assessment study was carried out by the State Social Impact Assessment Agency and submits its recommendations to the Appropriate Government which has approved its recommendation on dated…….

3. The summary of the Social Impact Assessment Report as follows:

SOCIAL IMPACT ASSESSMENT IS NOT APPLICABLE.

4. A total of **01** families are likely to be displaced due to the land acquisition. The reason necessitating such displacement is as under:-

Deputy Collector/Assistant Collector …… is appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families.

5. Therefore, the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the Schedule below is needed for public purpose.

SCHEDULE

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectares
Sambhal	Sambhal	Sambhal	Alhadpur Khanna	**54**	**0.0202**

6. The Governor is also pleased to authorise the Collector for the purpose of land acquisition to take necessary steps to entre upon and survey of land, take levels of any land, dig or sub soil into the sub-oil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7. Under section 15 of the Act, any person interested in the land may within **60** (days) after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8. Under section 11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land *i.e*. sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

NOTE: A plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

(*Sd.*) ILIGIBILE,
Collector, Sambhal.

पी0एस0यू0पी0–34 हिन्दी गजट–भाग 1-क–2023 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 18 नवम्बर, 2023 ई० (कार्तिक 27, 1945 शक संवत्)

भाग 7-ख

इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 11 मई, 2023 ई0 / वैशाख 21, 1945 (शक्)

आदेश

सं0 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/कन्नौज/2022/सी0ई0एम0एस0-III–**यतः,** उत्तर प्रदेश राज्य की 197-तिर्वा विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2022 अधिसूचना नं0-60/61-2022 दिनांक 25 जनवरी, 2022 के जरिये की गई थी।

यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः 197-तिर्वा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 मार्च, 2022 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल, 2022 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कन्नौज, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रस्तुत संवीक्षा रिपोर्ट दिनांक 10 अप्रैल, 2022 और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा पत्र सं0-287/निर्वाचन व्यय सेल/वि0स0सा0नि0-2022/पत्रा0-01/2021 के जरिए अग्रेषित दिनांक 27 अप्रैल, 2022 की रिपोर्ट के अनुसार श्रीमती गीता देवी जो उत्तर प्रदेश विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र 197-तिर्वा से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कन्नौज, उत्तर प्रदेश, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की उक्त रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिये श्रीमती गीता देवी को कारण बताओ नोटिस सं. 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/2022/सी0ई0एम0एस0-III, दिनांक 29 नवम्बर, 2022 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 29 नवम्बर, 2022 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्रीमती गीता देवी को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कन्नौज द्वारा अपने दिनांक 31 जनवरी, 2023 के पत्र-संख्या 46/29-निर्वा0(निर्वाचन व्यय-वि0स0-2022) लेखा संवीक्षा रिपोर्ट-वि0स0सा0नि0-2022 के जरिए आयोग को सूचना दी गई की उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 15 दिसम्बर, 2022 को प्राप्त किया गया था; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कन्नौज द्वारा दिनांक 14 मार्च, 2023 के पत्र-संख्या 91/29-निर्वा0(निर्वाचन व्यय-वि0स0-2022) लेखा संवीक्षा रिपोर्ट-वि0स0सा0नि0-2022 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्रीमती गीता देवी ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत उक्त विफलता के लिये न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और,

यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्रीमती गीता देवी निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिये कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-10क में अनुबंधित किया गया है किः–

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति–

(क)–निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा हैं; तथा

(ख)–उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन-वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के 197-तिर्वा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्रीमती गीता देवी निवासी ग्राम-जगतापुर मौज़ उधमपुर, पोस्ट-इन्दरगढ़, तहसील-तिर्वा, जनपद-कन्नौज-209723, को इस आदेश की तारीख से तीन-वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिये निरर्हित है।

आदेश से,
बिनोद कुमार,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, dated *11th May, 2023* / *21st Vaishakha, 1945 (Saka)*

ORDER

No. 76/UP-LA/Kannauj/2022/CEMS-III–WHEREAS, the General Election to 197-Tirwa Legislative Assembly of Uttar Pradesh, 2022 was conducting Notification No. 60/61-2022 dated 25th January, 2022.

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and,

WHEREAS, the result of the said election along with 197-Tirwa Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th March, 2022, Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 09th April, 2022; and,

WHEREAS, as per the scrutiny report dated 10th April, 2022 submitted by the District Election Officer, Kannauj, Uttar Pradesh and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh *vide* their letter No. 287/Nirvachan Vayy Cell/GE-LA/2022/Patra-01/2021, dated 27th April, 2021, Smt. Geeta Devi, a contesting candidate of Uttar Pradesh from 197-Tirwa Assembly Constituency of Uttar Pradesh, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law; and,

WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Office, Kannauj, Uttar Pradesh and the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh, a Show-Cause notice, 76/UP-LA/2022/CEMS-III dated 29th November, 2022 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Smt. Geeta Devi for not lodging the account of Election Expenses; and,

WHEREAS, as per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 29th November, 2022, Smt. Geeta Devi was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice; and,

WHEREAS, the said notice was received by the candidate on 15th December, 2022. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Kannauj, *vide* its letter no. 46/29-निर्वा0(निर्वाचन व्यय-वि0स0-2022) लेखा संवीक्षा रिपोर्ट-वि0स0सा0नि0-2022 31st January, 2023; and,

WHEREAS, the District Election Officer, Kannauj in his Supplementary Report, *vide* its letter No. 91/29-निर्वा0(निर्वाचन व्यय-वि0स0-2022) लेखा संवीक्षा रिपोर्ट-वि0स0सा0नि0-2022 14th March, 2023 has reported that Smt. Geeta Devi has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure; and,

WHEREAS, the Commission is satisfied that Smt. Geeta Devi has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Smt. Geeta Devi resident of Gram-Jagtaapur Mouj Udhampur, Post-Indargarh, Tehsil-Tirwa, Janpad, Kannauj-209723, a contesting candidate from 197-Tirwa Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Election to the Legislative Assembly 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
BINOD KUMAR,
Secretary,
Election Commission of India.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 11 मई, 2023 ई0 / वैशाख 21, 1945 (शक्)

आदेश

सं0 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/कन्नौज/2022/सी0ई0एम0एस0-III—**यतः,** उत्तर प्रदेश राज्य की 197-तिर्वा विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2022 अधिसूचना नं0-60/61-2022 दिनांक 25 जनवरी, 2022 के जरिये की गई थी।

यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः 197-तिर्वा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 मार्च, 2022 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल, 2022 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कन्नौज, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रस्तुत संवीक्षा रिपोर्ट दिनांक 10 अप्रैल, 2022 और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा पत्र-सं0 287/निर्वाचन व्यय सेल/वि0स0सा0नि0-2022/पत्रा0-01/2021 के जरिए अग्रेषित दिनांक 27 अप्रैल, 2022 की रिपोर्ट के अनुसार श्रीमती रूवीनाज जो उत्तर प्रदेश विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र 197-तिर्वा से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कन्नौज, उत्तर प्रदेश, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की उक्त रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिये श्रीमती रूवीनाज को कारण बताओ नोटिस सं. 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/2022/सी0ई0एम0एस0-III, दिनांक 29 नवम्बर, 2022 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 29 नवम्बर, 2022 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्रीमती रूवीनाज को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कन्नौज द्वारा अपने दिनांक 31 जनवरी, 2023 के पत्र-संख्या 46/29-निर्वा0(निर्वाचन व्यय-वि0स0-2022) लेखा संवीक्षा रिपोर्ट-वि0स0सा0नि0-2022 के जरिए आयोग को सूचना दी गई की उक्त नोटिस अभ्यर्थी के ससुर श्री मुसीम द्वारा दिनांक 15 दिसम्बर, 2022 को प्राप्त किया गया था; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कन्नौज द्वारा दिनांक 14 मार्च, 2023 के पत्र-संख्या 91/29-निर्वा0(निर्वाचन व्यय-वि0स0-2022) लेखा संवीक्षा रिपोर्ट-वि0स0सा0नि0-2022 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्रीमती रूवीनाज ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत उक्त विफलता के लिये न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और,

यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्रीमती रूवीनाज निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिये कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-10क में अनुबंधित किया गया है किः–

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति–

(क)–निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन क अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा हैं; तथा

(ख)–उस असफलता के लिये कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन-वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के 197-तिर्वा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्रीमती रूवीनाज निवासी ग्राम-मोहब्बतपुर पोस्ट-खामा, तहसील-तिर्वा, जिला-कन्नौज, को इस आदेश की तारीख से तीन-वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिये निरर्हित है।

आदेश से,
बिनोद कुमार,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, dated *11th May, 2023* / *21st Vaishakha, 1945 (Saka)*

ORDER

No. 76/UP-LA/Kannauj/2022/CEMS-III–WHEREAS, the General Election to 197-Tirwa Legislative Assembly of Uttar Pradesh, 2022 was conducting Notification No. 60/61-2022 dated 25th January, 2022.

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and,

WHEREAS, the result of the said election along with 197-Tirwa Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th March, 2022, Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 09th April, 2022; and,

WHEREAS, as per the scrutiny report dated 10th April, 2022 submitted by the District Election Officer, Kannauj, Uttar Pradesh and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh *vide* their letter No. 287/Nirvachan Vayy Cell/GE-LA/2022/Patra-01/2021, dated 27th April, 2021, Smt. Ruvinaaj, a contesting candidate of Uttar Pradesh from 197-Tirwa Assembly Constituency of Uttar Pradesh, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law; and,

WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Office, Kannauj, Uttar Pradesh and the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh, a Show-Cause notice, 76/UP-LA/2022/CEMS-III dated 29th November, 2022 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Smt. Ruvinaaj for not lodging the account of Election Expenses; and,

WHEREAS, as per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 29th November, 2022, Smt. Ruvinaaj was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice; and,

WHEREAS, the said notice was received by the candidate's father in law Shri Musim on 05th January, 2023. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Kannauj, *vide* its letter no. 46 / 29-निर्वा0(निर्वाचन व्यय-वि0स0-2022) लेखा संवीक्षा रिपोर्ट-वि0स0सा0नि0-2022 31st January, 2023; and,

WHEREAS, the District Election Officer, Kannauj in his Supplementary Report, *vide* its letter No. 91 / 29-निर्वा0(निर्वाचन व्यय-वि0स0-2022) लेखा संवीक्षा रिपोर्ट-वि0स0सा0नि0-2022 14th March, 2023 has reported that Smt. Ruvinaaj has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure; and,

WHEREAS, the Commission is satisfied that Smt. Ruvinaaj has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Smt. Ruvinaaj resident of Gram-Mohabatpur, Post-Khaama, Tehsil-Tirwa, Dist.-Kannauj, a contesting candidate from 197-Tirwa Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Election to the Legislative Assembly 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,

BINOD KUMAR,
Secretary,
Election Commission of India.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 11 मई, 2023 ई0 / वैशाख 21, 1945 (शक्)

आदेश

सं0 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/कन्नौज/2022/सी0ई0एम0एस0-III–**यतः,** उत्तर प्रदेश राज्य की 196-छिबरामऊ विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2022 अधिसूचना नं0-60/61-2022 दिनांक 25 जनवरी, 2022 के जरिये की गई थी।

यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः 196-छिबरामऊ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 मार्च, 2022 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल, 2022 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कन्नौज, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रस्तुत संवीक्षा रिपोर्ट दिनांक 10 अप्रैल, 2022 और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा पत्र-सं0 287/निर्वाचन व्यय सेल/वि0स0सा0नि0-2022/पत्रा0-01/2021 के जरिए अग्रेषित दिनांक 27 अप्रैल, 2022 की रिपोर्ट के अनुसार श्रीमती अर्जुमन जो उत्तर प्रदेश विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र 196-छिबरामऊ से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कन्नौज, उत्तर प्रदेश, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की उक्त रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिये श्रीमती अर्जुमन को कारण बताओ नोटिस सं. 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/2022/सी0ई0एम0एस0-III, दिनांक 29 नवम्बर, 2022 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम-89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 29 नवम्बर, 2022 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्रीमती अर्जुमन को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कन्नौज द्वारा अपने दिनांक 31 जनवरी, 2023 के पत्र-संख्या 46/29-निर्वा0(निर्वाचन व्यय-वि0स0-2022) लेखा संवीक्षा रिपोर्ट-वि0स0सा0नि0-2022 के जरिए आयोग को सूचना दी गई की उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 05 जनवरी, 2023 को प्राप्त किया गया था; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कन्नौज द्वारा दिनांक 14 मार्च, 2023 के पत्र-संख्या 91/29-निर्वा0(निर्वाचन व्यय-वि0स0-2022) लेखा संवीक्षा रिपोर्ट-वि0स0सा0नि0-2022 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्रीमती अर्जुमन ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत उक्त विफलता के लिये न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और,

यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्रीमती अर्जुमन निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-10क में अनुबंधित किया गया है किः–

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति–

(क)–निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन क अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा हैं; तथा

(ख)–उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के 196-छिबरामऊ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्रीमती अर्जुमन निवासी 58, इन्दिरा नगर आ0 5 हमीद नगर थाना-गुरूसहायगंज, तहसील छिबरामऊ, जिला कन्नौज-209722 को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

आदेश से,
बिनोद कुमार,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, dated *11th May, 2023* / *21st Vaishakha, 1945 (Saka)*

ORDER

No. 76/UP-LA/Kannauj/2022/CEMS-III–WHEREAS, the General Election to 196-Chhibramau Legislative Assembly of Uttar Pradesh, 2022 was conducting Notification No. 60/61-2022 dated 25th January, 2022.

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and,

WHEREAS, the result of the said election along with 196-Chhibramau Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th March, 2022, Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 09th April, 2022; and,

WHEREAS, as per the scrutiny report dated 10th April, 2022 submitted by the District Election Officer, Kannauj, Uttar Pradesh and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh *vide* their letter No. 287/Nirvachan Vayy Cell/GE-LA/2022/Patra-01/2021, dated 27th April, 2021, Smt. Arjuman, a contesting candidate of Uttar Pradesh from 196-Chhibramau Assembly Constituency of Uttar Pradesh, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law; and,

WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Office, Kannauj, Uttar Pradesh and the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh, a Show-Cause notice, 76/UP-LA/2022/CEMS-III dated 29th November, 2022 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Smt. Arjuman for not lodging the account of Election Expenses; and,

WHEREAS, as per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 29th November, 2022, Smt. Arjuman was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice; and,

WHEREAS, the said notice was received by the candidate on 5th January, 2023. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Kannauj, *vide* its letter no. 46/29-निर्वा0(निर्वाचन व्यय-वि0स0-2022) लेखा संवीक्षा रिपोर्ट-वि0स0सा0नि0-2022 31st January, 2023; and,

WHEREAS, the District Election Officer, Kannauj in his Supplementary Report, *vide* its letter No. 91/29-निर्वा0(निर्वाचन व्यय-वि0स0-2022) लेखा संवीक्षा रिपोर्ट-वि0स0सा0नि0-2022 14th March, 2023 has reported that Smt. Arjuman has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure; and,

WHEREAS, the Commission is satisfied that Smt. Arjuman has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Smt. Arjuman resident of 58, Indira Nagar A. 5 Hammed Nagar, Thana-Gurusahayaganj Tehsil-Chhibramau, District-Kannauj-209722, a contesting candidate from 196-Chhibramau Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Election to the Legislative Assembly 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,

BINOD KUMAR,
Secretary,
Election Commission of India.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 29 मई, 2023 ई0 / ज्येष्ठ 08, 1945 (शक्)

आदेश

सं0 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/मेरठ/2022/सी0ई0एम0एस0-III–**यतः,** उत्तर प्रदेश राज्य की 45-हस्तिनापुर (अ0जा0) विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2022 अधिसूचना नं0-28/61-2022 दिनांक 14 जनवरी, 2022 के जरिये की गई थी।

यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः 45-हस्तिनापुर (अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 मार्च, 2022 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल, 2022 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मेरठ, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रस्तुत संवीक्षा रिपोर्ट दिनांक 8 अप्रैल, 2022 और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा पत्र-सं0-287/निर्वाचन व्यय सेल/वि0स0सा0नि0-2022/पत्रा0-01/2021 के जरिये अग्रेषित दिनांक 27 अप्रैल, 2022 की रिपोर्ट के अनुसार श्री अनमोल जो उत्तर प्रदेश विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र 45-हस्तिनापुर (अ0जा0) से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मेरठ, उत्तर प्रदेश, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की उक्त रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिये श्री अनमोल को कारण बताओ नोटिस सं0-76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/2022/सी0ई0एम0एस0-III, दिनांक 13 दिसम्बर, 2022 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम-89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 13 दिसम्बर, 2022 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिये श्री अनमोल को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुये लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मेरठ द्वारा अपने दिनांक 21 फरवरी, 2023 के पत्र-संख्या 156/29-1490 के जरिये आयोग को सूचना दी गई की उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2023 को प्राप्त किया गया था; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मेरठ द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2023 के पत्र-संख्या 311/29-1490 के जरिये प्रस्तुत की गई अनुपूरक संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री अनमोल ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत उक्त विफलता के लिये न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और,

यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री अनमोल निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिये कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-10क में अनुबंधित किया गया है कि:–

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति–

(क)–निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा हैं; तथा

(ख)–उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के 45-हस्तिनापुर (अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री अनमोल निवासी मोहल्ला-गंधार दरवाजा किला परीक्षितगढ़, तहसील-मवाना, मेरठ को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

आदेश से,
बिनोद कुमार,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, dated *29th May, 2023* / *08th Jyaishtha, 1945 (Saka)*

ORDER

No. 76/UP-LA/Meerut/2022/CEMS-III–WHEREAS, the General Election to 45-Hastinapur (SC) Legislative Assembly of Uttar Pradesh, 2022 was conducting Notification No. 28/61-2022 dated 14th January, 2022.

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and,

WHEREAS, the result of the said election along with 45-Hastinapur (SC) Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th March, 2022, Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 09th April, 2022; and,

WHEREAS, as per the scrutiny report dated 08th April, 2022 submitted by the District Election Officer, Meerut, Uttar Pradesh and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh *vide* their letter No. 287/Nirvachan Vayy Cell/GE-LA/2022/Patra-01/2021, dated 27th April, 2021, Shri Anmol, a contesting candidate of Uttar Pradesh from 45-Hastinapur (SC) Assembly Constituency of Uttar Pradesh, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law; and,

WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Office, Meerut, Uttar Pradesh and the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh, a Show-Cause notice, 76/UP-LA/2022/CEMS-III dated 13th December, 2022 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Anmol for not lodging the account of Election Expenses; and,

WHEREAS, as per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 13th December, 2022, Shri Anmol was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice; and,

WHEREAS, the said notice was received by the candidate on 1st January, 2023. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Meerut, *vide* its letter no. 156/29-1490 dated 21st February, 2023; and,

WHEREAS, the District Election Officer, Meerut in his Supplementary Report, *vide* its letter No. 311/29-1490 dated 10th April, 2023 has reported that Shri Anmol has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure; and,

WHEREAS, the Commission is satisfied that Shri Anmol has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Anmol resident of Mohalla Gandhaar Darwaja Kila Prikshtigarh, Tehsil-Mawana, Meerut, a contesting candidate from 45-Hastinapur (SC) Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Election to the Legislative Assembly 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,

BINOD KUMAR,
Secretary,
Election Commission of India.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 27 मई, 2023 ई0
आषाढ़ 06, 1945 (शक)

आदेश

सं0 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/उन्नाव/2022/सी0ई0एम0एस0-III—**यतः,** उत्तर प्रदेश राज्य की 164-मोहान (अ0जा0) विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2022 अधिसूचना नं0-68/61-2022 दिनांक 27 जनवरी, 2022 के जरिए की गई थी।

यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः 164-मोहान (अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 मार्च, 2022 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल, 2022 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, उन्नाव, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रस्तुत संवीक्षा रिपोर्ट दिनांक 10 अप्रैल, 2022 और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा पत्र सं0 287/निर्वाचन व्यय सेल/वि0स0सा0नि0-2022/पत्रा0-01/2022 के जरिए अग्रेषित दिनांक 27 अप्रैल, 2022 की रिपोर्ट के अनुसार श्री अच्छे लाल जो उत्तर प्रदेश विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र 164-मोहान (अ0जा0) से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, उन्नाव, उत्तर प्रदेश, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की उक्त रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5)

के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री अच्छे लाल को कारण बताओ नोटिस सं. 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/2022/सी0ई0एम0एस0-III, दिनांक 14 नवम्बर, 2022 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 14 नवम्बर, 2022 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री अच्छे लाल को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और

यतः, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, उन्नाव द्वारा अपने दिनांक 09 फरवरी, 2023 के पत्र संख्या 43/29-नि0व्यय0ले0-2022 के जरिए आयोग को सूचना दी गई की उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 06 फरवरी, 2023 को उक्त पते पर अभ्यर्थी के उपलब्ध न होने के कारण एवं उनके परिवार द्वारा नोटिस न लेने के कारण अभ्यर्थी द्वारा दिए गए पते पर चस्पा किया गया था; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, उन्नाव द्वारा दिनांक 16 मई, 2023 के पत्र संख्या 123/29-नि0व्यय0ले0-2023 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री अच्छे लाल ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और,

यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री अच्छे लाल निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है किः–

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति–

(क)–निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन क अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा हैं; तथा

(ख)–उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के 164-मोहान (अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री अच्छे लाल निवासी ग्राम-भटपुरा, ब्लाक व तहसील-हसनगंज, जिला-उन्नाव को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

बिनोद कुमार,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, dated *27th May, 2023* / *06th Ashadha, 1945 (Saka)*

ORDER

No. 76/UP-LA/Unnao/2022/CEMS-III–WHEREAS, the General Election to 164-Mohan (SC) Legislative Assembly of Uttar Pradesh, 2022 was conducting Notification No. 28/61-2022 dated 14th January, 2022.

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and,

WHEREAS, the result of the said election along with 164-Mohan (SC) Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th March, 2022, Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 09th April, 2022; and,

WHEREAS, as per the scrutiny report dated 10th April, 2022 submitted by the District Election Officer, Unnao, Uttar Pradesh and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh *vide* their letter No. 287/Nirvachan Vayy Cell/GE-LA/2022/Patra-01/2021, dated 27th April, 2021, Shri Achhey Lal, a contesting candidate of Uttar Pradesh from 164-Mohan (SC) Assembly Constituency of Uttar Pradesh, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law; and,

WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Office, Unnao, Uttar Pradesh and the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh, a Show-Cause notice, 76/UP-LA/2022/CEMS-III dated 14th November, 2022 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Achhey Lal for not lodging the account of Election Expenses; and,

WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 14th November, 2022, Shri Achhey Lal was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice; and,

WHEREAS, the said notice was pasted at the address given by the candidate on 06th February, 2023 due to non-availability of the Candidate at given address and denying the family members to receive notice. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Unnao, *vide* its letter no. 43/29-नि0व्यय0ले0-2022 dated 09th February, 2023; and,

WHEREAS, the District Election Officer, Unnao in his Supplementary Report, *vide* its letter 123/29-नि0व्यय0ले0-2023 dated 16th May, 2023 has reported that Shri Achhey Lal has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure; and,

WHEREAS, the Commission is satisfied that Shri Achhey Lal has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(a)-has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b-has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Achhey Lal resident of Village-Bhatpura Block and Tehsil-Hasanganj, Dist.-Unnao, a contesting candidate from 164-Mohan (SC) Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Election to the Legislative Assembly 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

BINOD KUMAR,
Secretary,
Election Commission of India.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 27 जून, 2023 ई0 / आषाढ़ 06, 1945 (शक)

आदेश

सं0 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/उन्नाव/2022/सी0ई0एम0एस0-III–**यतः,** उत्तर प्रदेश राज्य की 162-बांगरमऊ विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2022 अधिसूचना नं0-68/61-2022 दिनांक 27 जनवरी, 2022 के जरिए की गई थी।

यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः 162-बांगरमऊ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 मार्च, 2022 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल, 2022 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, उन्नाव, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रस्तुत संवीक्षा रिपोर्ट दिनांक 10 अप्रैल, 2022 और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा पत्र सं0 287/निर्वाचन व्यय सेल/वि0स0सा0नि0-

2022/पत्रा0-01/2022 के जरिए अग्रेषित दिनांक 27 अप्रैल, 2022 की रिपोर्ट के अनुसार अब्दुल रज़्ज़ाक मंसूरी जो उत्तर प्रदेश विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र 162-बांगरमऊ से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, उन्नाव, उत्तर प्रदेश, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की उक्त रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए अब्दुल रज़्ज़ाक मंसूरी को कारण बताओ नोटिस सं. 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/2022/सी0ई0एम0एस0-III, दिनांक 14 नवम्बर, 2022 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 14 नवम्बर, 2022 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए अब्दुल रज़्ज़ाक मंसूरी को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और

यतः, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, उन्नाव द्वारा अपने दिनांक 19 फरवरी, 2023 के पत्र संख्या 629/29-नि0व्यय0ले0-2022 के जरिए आयोग को सूचना दी गई की उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2022 को प्राप्त किया गया था; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, उन्नाव द्वारा दिनांक 16 मई, 2023 के पत्र संख्या 123/29-नि0व्यय0ले0-2023 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि अब्दुल रज़्ज़ाक मंसूरी ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और,

यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि अब्दुल रज़्ज़ाक मंसूरी निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है किः–

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति–

(क)–निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन क अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा हैं; तथा

(ख)–उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के 162-बांगरमऊ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी अब्दुल रज़्ज़ाक मंसूरी निवासी 11/82, मक़बरा ग्वालटोली, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश, को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

बिनोद कुमार,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, dated *27th June, 2023* / *06th Ashadha, 1945 (Saka)*

ORDER

No. 76/UP-LA/Unnao/2022/CEMS-III–WHEREAS, the General Election to 162-Bangarmau Legislative Assembly of Uttar Pradesh, 2022 was conducting Notification No. 68/61-2022 dated 27th January, 2022.

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and,

WHEREAS, the result of the said election along with 162-Bangarmau Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th March, 2022, Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 09th April, 2022; and,

WHEREAS, as per the scrutiny report dated 10th April, 2022 submitted by the District Election Officer, Unnao, Uttar Pradesh and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh *vide* their letter No. 287/Nirvachan Vayy Cell/GE-LA/2022/Patra-01/2021, dated 27th April, 2021, Abdul Razzaq Mansoori, a contesting candidate of Uttar Pradesh from 162-Bangarmau Assembly Constituency of Uttar Pradesh, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law; and,

WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Office, Unnao, Uttar Pradesh and the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh, a Show-Cause notice, 76/UP-LA/2022/CEMS-III dated 14th November, 2022 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Abdul Razzaq Mansoori for not lodging the account of Election Expenses; and,

WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 14th November, 2022, Abdul Razzaq Mansoori was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice; and,

WHEREAS, the said notice was received by the candidate on 14th December, 2022. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the Deputy District Election Officer, Unnao, *vide* its letter no. 629/29-नि0व्यय0ले0-2022 dated 19th December, 2022; and,

WHEREAS, the District Election Officer, Unnao in his Supplementary Report, *vide* its letter 123/29-नि0व्यय0ले0-2023 dated 16th May, 2023 has reported that Abdul Razzaq Mansoori has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure; and,

WHEREAS, the Commission is satisfied that Abdul Razzaq Mansoori has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(a)-has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b-has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Abdul Razzaq Mansoori resident of 11/82, Maqbara Gwal Toli, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh, a contesting candidate from 162-Bangarmau Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Election to the Legislative Assembly 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

BINOD KUMAR,
Secretary,
Election Commission of India.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 28 जून, 2023 ई0 / आषाढ़ 07, 1945 (शक्)

आदेश

सं0 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/खीरी/2022/सी0ई0एम0एस0-III—**यतः,** उत्तर प्रदेश राज्य की 144-मोहम्मदी विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2022 घोषणा अधिसूचना नं0-68/61-2022 दिनांक 27 जनवरी, 2022 के जरिए की गई थी।

यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः 144-मोहम्मदी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 मार्च, 2022 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल, 2022 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, खीरी, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा पत्र सं0 287/निर्वाचन व्यय सेल/वि0स0सा0नि0-2022/पत्रा0-01/2022 के जरिए अग्रेषित दिनांक 27 अप्रैल, 2022 की रिपोर्ट के अनुसार श्री रवीकांत जो उत्तर प्रदेश विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र 144-मोहम्मदी से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, खीरी, उत्तर प्रदेश, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की उक्त रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री रवीकांत को कारण बताओ नोटिस सं. 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/2022/सी0ई0एम0एस0-III, दिनांक 29 नवम्बर, 2022 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 29 नवम्बर, 2022 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री रवीकांत को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और

यतः, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, खीरी द्वारा अपने दिनांक 30 मई, 2023 के पत्र संख्या 857/वि0स0सा0निर्वा-2022-संवीक्षा रिपोर्ट के जरिए आयोग को सूचना दी गई की उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 20 दिसम्बर, 2022 को प्राप्त किया गया था; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, खीरी द्वारा दिनांक 21 मार्च, 2023 के पत्र संख्या 727/वि0स0सा0निर्वा-2022-संवीक्षा रिपोर्ट के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री रवीकांत ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और,

यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री रवीकांत निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है किः–

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति–

(क)–निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन क अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा हैं; तथा

(ख)–उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के 144-मोहम्मदी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री रवीकांत निवासी म0नं0 481, पश्चिमी दीक्षिताना, तहसील-गोला, जिला-खीरी को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

बिनोद कुमार,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, dated *28th June, 2023*
07th Ashadha, 1945 (Saka)

ORDER

No. 76/UP-LA/Kheri/2022/CEMS-III–WHEREAS, the General Election to 144-Mohammdi Legislative Assembly of Uttar Pradesh, 2022 was announced *vide* Notification No. 68/61-2022 dated 27th January, 2022.

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and,

WHEREAS, the result of the said election along with 144-Mohammdi Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th March, 2022, Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 09th April, 2022; and,

WHEREAS, as per the report submitted by the District Election Officer, Kheri, Uttar Pradesh and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh *vide* their letter No. 287/Nirvachan Vayy Cell/GE-LA/2022/Patra-01/2021, dated 27th April, 2021, Shri Ravikant, a contesting candidate of Uttar Pradesh from 144-Mohammdi Assembly Constituency of Uttar Pradesh, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law; and,

WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Office, Kheri, Uttar Pradesh and the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh, a Show-Cause notice, 76/UP-LA/2022/CEMS-III dated 29th November, 2022 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Ravikant for not lodging the account of Election Expenses; and,

WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 29th November, 2022, Shri Ravikant was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice; and,

WHEREAS, the said notice was received by the candidate on 20th December, 2022. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the Deputy District Election Officer, Kheri, *vide* its letter no. 857 / वि0स0सा0निर्वा-2022-संवीक्षा रिपोर्ट dated 30th May, 2023; and,

WHEREAS, the District Election Officer, Kheri in his Supplementary Report, *vide* its letter 727 / वि0स0सा0निर्वा-2022-संवीक्षा रिपोर्ट dated 21st March, 2023 has reported that Shri Ravikant has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure; and,

WHEREAS, the Commission is satisfied that Shri Ravikant has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(a)-has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b-has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Ravikant resident of H.N. 481, Pashchimi Dixitana, Tehsil Gola, Dist.-Kheri a contesting candidate from 144-Mohammdi Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Election to the Legislative Assembly 2022 to be disqualified for being

chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

BINOD KUMAR,
Secretary,
Election Commission of India.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 27 जून, 2023 ई0 / आषाढ़ 06, 1945 (शक्)

आदेश

सं0 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/जौनपुर/2022/सी0ई0एम0एस0-III—**यतः,** उत्तर प्रदेश राज्य की 366-जौनपुर विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2022 अधिसूचना नं0-99/61-2022 दिनांक 10 फरवरी, 2022 के जरिए की गई थी।

यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः 366-जौनपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 मार्च, 2022 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल, 2022 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, जौनपुर, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रस्तुत संवीक्षा रिपोर्ट दिनांक 09 अप्रैल, 2022 और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा पत्र सं0 287/निर्वाचन व्यय सेल/वि0स0सा0नि0-2022/पत्रा0-01/2022 के जरिए अग्रेषित दिनांक 27 अप्रैल, 2022 की रिपोर्ट के अनुसार श्री दिनेश सिंह (रिंकू भईया) जो उत्तर प्रदेश विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र 366-जौनपुर से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, जौनपुर, उत्तर प्रदेश, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की उक्त रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री दिनेश सिंह (रिंकू भईया) को कारण बताओ नोटिस सं. 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/2022/सी0ई0एम0एस0-III, दिनांक 23 नवम्बर, 2022 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 23 नवम्बर, 2022 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री दिनेश सिंह (रिंकू भईया) को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, जौनपुर द्वारा अपने दिनांक 20 मई, 2023 के पत्र संख्या 101/निर्वाचन-2023 के जरिए आयोग को सूचना दी गई की उक्त नोटिस अभ्यर्थी के पिता श्री लाल जी द्वारा दिनांक 03 जनवरी, 2023 को प्राप्त किया गया था; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, जौनपुर द्वारा दिनांक 20 मई, 2023 के पत्र संख्या 101/निर्वाचन-2023 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री दिनेश सिंह (रिंकू भईया) ने न तो कोई भी

अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और,

यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री दिनेश सिंह (रिंकू भईया) निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है किः–

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति–

(क)–निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन क अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा हैं; तथा

(ख)–उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के 366-जौनपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री दिनेश सिंह (रिंकू भईया) निवासी 75 जगदीशपुर अकबर, पो0 सदर, जौनपुर, को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

बिनोद कुमार,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, dated *27th June, 2023* / *06th Ashadha, 1945 (Saka)*

ORDER

No. 76/UP-LA/Jaunpur/2022/CEMS-III–WHEREAS, the General Election to 366-Jaunpur Legislative Assembly of Uttar Pradesh, 2022 was conducting Notification No. 28/61-2022 dated 14th January, 2022.

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and,

WHEREAS, the result of the said election along with 366-Jaunpur Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th March, 2022, Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 09th April, 2022; and,

WHEREAS, as per the scrutiny report dated 9th April, 2022 submitted by the District Election Officer, Jaunpur, Uttar Pradesh and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh *vide* their letter No. 287/Nirvachan Vayy Cell/GE-LA/2022/Patra-01/2021, dated 27th April, 2021, Shri Dinesh Singh (Rinku Bhaiya), a contesting candidate of Uttar Pradesh from 366-Jaunpur Assembly Constituency of Uttar Pradesh, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law; and,

WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Office, Jaunpur, Uttar Pradesh and the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh, a Show-Cause notice, 76/UP-LA/2022/CEMS-III dated 13th December, 2022 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Dinesh Singh (Rinku Bhaiya) for not lodging the account of Election Expenses; and,

WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 13th December, 2022, Shri Dinesh Singh (Rinku Bhaiya) was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice; and,

WHEREAS, the said notice was received by his father Shri Lal Ji on 03rd January, 2023. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Jaunpur, *vide* its letter no. 101 / निर्वाचन-2023 dated 20th May, 2023; and,

WHEREAS, the District Election Officer, Jaunpur in his Supplementary Report, *vide* its letter 311/29-1490 dated 10th April, 2023 has reported that Shri Dinesh Singh (Rinku Bhaiya) has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure; and,

WHEREAS, the Commission is satisfied that Shri Dinesh Singh (Rinku Bhaiya) has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(a)-has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b-has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Dinesh Singh (Rinku Bhaiya) resident of 76 Jagadeshpur Akbar, Post-Sadar, Jaunpur, a contesting candidate from 366-Jaunpur Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Election to the Legislative Assembly 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

BINOD KUMAR,
Secretary,
Election Commission of India.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Secretary.

पी0एस0यू0पी0–34 हिन्दी गजट–भाग 7-ख–2023 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

पी0एस0यू0पी0–663 निर्वाचन–18.11.2023–100 प्रतियां (डी0टी0पी0 / आफसेट)।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 18 नवम्बर, 2023 ई० (कार्तिक 27, 1945 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अक्षत शर्मा पुत्र स्व0 मनोज कुमार शर्मा है जो मेरे शैक्षिणिक अभिलेखों, आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं जन्म प्रमाण-पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पिता जी की सर्विस बुक में मेरा नाम अक्षत सारस्वत अंकित हो गया है जो त्रुटिपूर्ण है। भविष्य में मुझे अक्षत शर्मा पुत्र स्व0 मनोज कुमार शर्मा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

अक्षत शर्मा,
पता–316/34बी, काली जी बाजार,
बड़ी काली जी मंदिर, चौक, लखनऊ,
उत्तर प्रदेश-226003 ।

सूचना

सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम रिदिमा तिवारी (Ridima Tiwari) पुत्री विवेक तिवारी है, जो मेरे आधार कार्ड, शैक्षिणिक अभिलेखों में अंकित है, स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार अपना नाम रिदिमा तिवारी से बदल कर साक्षी तिवारी (Sakshi Tiwarri) पुत्री विवेक तिवारी रख लिया है, भविष्य में मुझे साक्षी तिवारी (Sakshi Tiwarri) पुत्री विवेक तिवारी के नाम से जाना एवं पहचाना जाये।

रिदिमा तिवारी,
पुत्री विवेक तिवारी,
एन0 सी0 19, इफको टाउनशिप,
(NC 19, IFFCO TOWNSHIP GHIYANAGAR),
घियानगर, प्रयागराज,
उत्तर प्रदेश, भारत।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे शैक्षिणिक प्रमाण-पत्रों में त्रुटिवश मेरे पिता का नाम शाह आलम अंकित है जबकि उनका सही नाम शाह आलम सिद्दीकी है जो उनके पैनकार्ड व आधार कार्ड व शैक्षिणिक प्रमाण-पत्र में अंकित है।

अहमद रैय्यान पुत्र शाह आलम सिद्दीकी,
111, मेवातीपुर,
गोरखपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अन्नू देवी है जबकि मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम अनुसुईया देवी अंकित हो गया है, जोकि गलत है। मेरे अन्य दस्तावेजों व पैन कार्ड में मेरा नाम अन्नू देवी अंकित है जो कि सही है मेरे आधार कार्ड में अंकित गलत नाम अनुसुईया देवी के स्थान पर मेरा सही नाम अन्नू देवी किया जाना न्यायोचित होगा।

अन्नू देवी,
अन्नू देवी पत्नी सूर्यमणि मिश्र,
नि0, पचदेवरा, थाना व तहसील करछना,
जनपद–प्रयागराज।

सूचना

मैं, सुरभि राज सिंह पुत्री राणा प्रताप सिंह, निवासिनी नगवां, लंका, वाराणसी निम्नलिखित तथ्यों की सूचरा दे रही हूं–

मेरे हाईस्कूल वर्ष 2014 अनुक्रमांक 5296114 के मूल प्रमाण-पत्र में नाम सुरभि राज सिंह, पिता का नाम राणा सिंह, माता का नाम आशा सिंह गलत दर्ज हो गया है, जबकि वास्तविक नाम सुरभि प्रकाश, पिता का नाम राणा प्रताप सिंह एवं माता का नाम उषा सिंह है। भविष्य में इसी नाम से जाना व पहचाना जाये। सुरभि प्रकाश पुत्री राणा प्रताप सिंह, निवासी नगवां लंका, वाराणसी।

सुरभि प्रकाश।

सूचना

मे0 जनता प्लास्टिक उद्योग प्लांट संख्या F134 सीड़ा सतहरिया जौनपुर में मनोज कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री बृजकिशोर श्रीवास्तव एवं आबिद अली पुत्र ताबुज अली साझेदार थे। आबिद अली पुत्र ताबुज अली ने अपनी साझेदारी स्वेच्छा से दिनांक 10/10/2023 को समाप्त कर लिया। दिनांक 10/10/2023 को महेन्द्र प्रताप श्रीवास्तव पुत्र स्व0 माता प्रसाद श्रीवास्तव फर्म में सम्मलित हो रहे है। अब वर्तमान में मनोज कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री बृजकिशोर श्रीवास्तव एवं महेन्द्र प्रताप श्रीवास्तव पुत्र स्व0 माता प्रसाद श्रीवास्तव साझेदार है। अब फर्म का स्वामित्व एवं जिम्मेदारी वर्तमान साझेदार का है।

मनोज कुमार श्रीवास्तव,
पुत्र श्री बृजकिशोर श्रीवास्तव,
F134 सीड़ा सतहरिया जौनपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पिता का सही नाम राजेश कुमार सिंह (Rajesh Kumar Singh) है। जो उनके शैक्षिक अभिलेखों, आधार कार्ड, पैन कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश मेरे हाई स्कूल के सह-अंक प्रमाण-पत्र में मेरे पिता का नाम आर0 के0 सिंह परिहार (R. K. SINGH PARIHAR) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। राज सिंह परिहार (RAJ SINGH PARIHAR), पता-3 (T)4 W.I.E. COLONY ANPARA SONBHADRA (U. P.) 231225।

RAJ SINGH PARIHAR.

सूचना

सर्व विदित है कि पंजीकृत फर्म M/s. BLUE DIAMOND, 123A/3/3, Civil Station, Loyal Road, Patrika Marg, Prayagraj. के भगीदार श्याम लाल पाण्डेय दिनांक 07/11/2023 को उक्त फर्म से अपनी भागीदारी समाप्त करते हुये अलग हो गये है तथा अनुराग पाण्डेय दिनांक 07.11.2023 को उक्त फर्म में बतौर भागीदार शामिल हुये है। अनुराग पाण्डेय का फर्म में भागीदार हिस्सा 50 प्रतिशत का होगा, फर्म से अलग हुए भागीदार श्याम लाल पाण्डेय का उक्त फर्म से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का लेन-देन तथा दायित्व शेष नही है।

मोहित कुमार पाण्डेय,
भागीदार

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स-जय हनुमान ट्रेडर्स, 332/32, घड़ियाली गली, गुलाब मार्केट, चौक, लखनऊ उ0प्र0 226003 रजि0 नं0-LUC/0009220 का रजिस्ट्रेशन दिनांक 24 मई, 2021 को कराया गया था जिसमें अमित अग्रवाल प्रथम एवं संजीव कुमार जैन द्वितीय साझेदार थे। उक्त फर्म में दिनांक 30 जून, 2023 से गीता अग्रवाल को तृतीय साझेदार के रूप में शामिल कर लिया गया है। वर्तमान में उक्त फर्म में अमित अग्रवाल प्रथम एवं संजीव कुमार जैन द्वितीय एवं गीता अग्रवाल तृतीय साझेदार के रूप में सम्मिलित है।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिक्ताओं का पालन स्वयं मेरे द्वारा किया गया है।

अमित अग्रवाल,
साझेदार,
मेसर्स-जय हनुमान ट्रेडर्स।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स ''नोदी एक्सपोर्ट्स इन्क'' बी-4 स्पेशल इकोनोमिक जोन, मुरादाबाद जिला मुरादाबाद, उ0प्र0 नामक फर्म में दिनांक 31 मार्च, 2022 को पार्टनर्स श्रीमती सुमन खन्ना पत्नी स्व0 विनोद खन्ना, निवासी नोदी एक्सपोर्ट्स होटल पंचाल के पास दिल्ली रोड मझोला, मुरादाबाद जिला मुरादाबाद एवं श्रीमती प्राची खन्ना पत्नी श्री शैलेष खन्ना, निवासी नोदी एक्सपोर्ट्स होटल पंचाल के पास मझोला, दिल्ली रोड, मुरादाबाद जिला मुरादाबाद स्वेच्छा से भगीदार नहीं रहे हैं एवं दिनांक 01 अप्रैल, 2022 को श्रीमती मीतू खन्ना पत्नी श्री नीरज खन्ना, निवासी नोदी एक्सपोर्ट्स होटल पंचाल के पास, मुरादाबाद, जिला मुरादाबाद नये भागीदार के रूप में शामिल हो गयी है। उक्त फर्म पर बाहर हो गये भागीदारों की कोई देनदारी व लेनदारी बकाया नहीं है, वर्तमान में दो पार्टनर नीरज खन्ना एवं श्रीमती मीतू खन्ना हो गये है।

नीरज खन्ना,
पार्टनर,
मैसर्स ''नोदी एक्सपोर्ट्स इन्क''
बी-4 स्पेशल इकोनोमिक जोन मुरादाबाद।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है कि मैसर्स डार्ट कन्सट्रक्टर्स एण्ड डवलपर्स, एस-1, मेडी सेण्टर हापुड रोड, मेरठ-250002 की साझीदारी में, श्री अजय कुमार अग्रवाल एवं श्री प्रेम शंकर अग्रवाल साझीदार थे। दिनांक 01 अप्रैल, 2023 को श्रीमती सीमा अग्रवाल फर्म की साझीदारी में सम्मिलित हुई तथा श्री प्रेम शंकर अग्रवाल फर्म की साझीदारी से अपना हिसाब-किताब ले-देकर अलग हो गये है। दिनांक 01 अप्रैल, 2023 की साझीदारीनामा के अनुसार फर्म में श्री अजय कुमार अग्रवाल एवं श्रीमती सीमा अग्रवाल साझीदार है तथा साझीदार श्री अजय कुमार अग्रवाल का निवास-स्थान 223/2, एल-ब्लॉक, शास्त्रीनगर, मेरठ-250004 हो गया है। यह घोषणा करता हूँ कि एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औचारिकतायें सवयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

अजय कुमार अग्रवाल,
साझीदार
मैसर्स डार्ट कन्सट्रक्टर्स एण्ड डवलपर्स,
एस-1, मेडी सेण्टर हापुड रोड, मेरठ-250002।

पी0एस0यू0पी0—34 हिन्दी गजट—भाग 8—2023 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।